डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 अक्टूबर, 2020, डिस्पेच दिनांक 1 अक्टूबर, 2020

| वर्ष 64 | अंक 09 | भोपाल | 1 अक्टूबर, 2020 | पृष्ठ 16 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

सहकारिता से साकार करेंगे आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का सपना : मुख्यमंत्री

पेक्स स्तर तक सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटराइजेशन होगा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने "सबको साख–सबका विकास" कार्यक्रम को संबोधित किया।

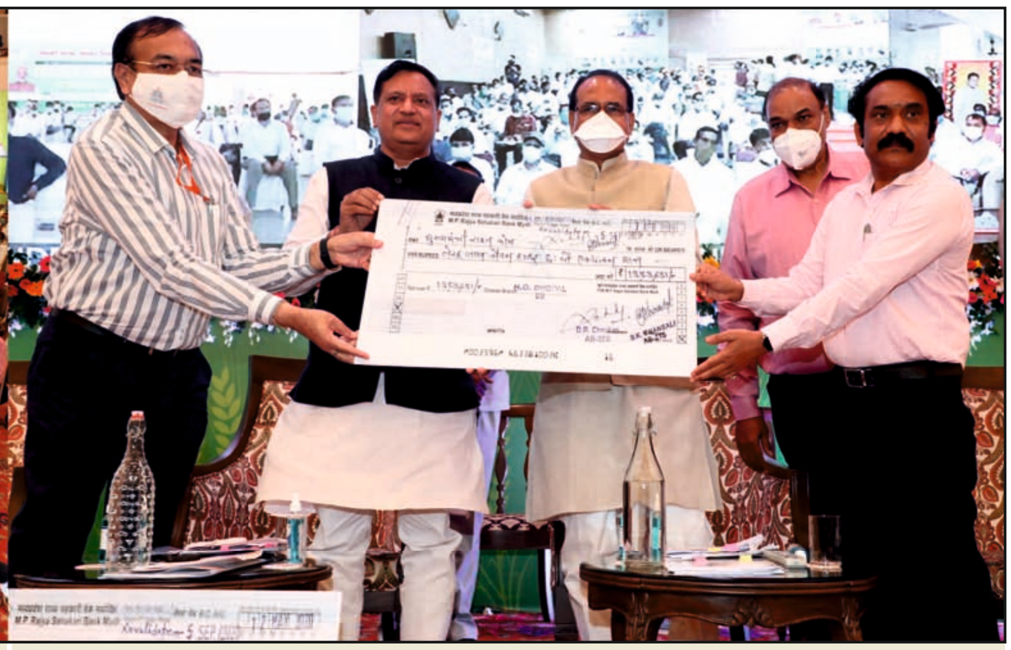

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को अपेक्स बैंक की ओर से मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिये राशि का चेक भेंट किया।

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी के किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ होगी। इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र हितग्राहियों को चार हजार रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दिलवाना है। करीब 80 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। वर्तमान में योजना के अंतर्गत ऐसे छोटे–छोटे किसानों को जो अन्य योजनाओं के लाभ नहीं ले पाते हैं, उन्हें वार्षिक छह हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। अब हितग्राही किसान को 10 हजार रूपए की वार्षिक सहायता मिल सकेगी। किसानों के समग्र विकास की दृष्टि से किसान हितैषी योजनाओं को एक पैकेज के रूप में समाहित कर लागू किया जाएगा। सहकारिता विभाग में कम्प्यूटराइजेशन का कार्य व्यापक स्तर पर होगा। साढ़े चार हजार प्राथमिक सहकारी समितियों में इस व्यवस्था के लिए राज्य शासन धनराशि उपलब्ध करवाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस से आरंभ गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत 22 सितंबर, 2020 को मिंटो हाल भोपाल में

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नये किसान हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड, सहकारी बैंकों/समितियों को शासकीय सहायता किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिये डिजिटली अंतरित की।

आयोजित 'सबको साख–सबका विकास' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कृषकों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों को ऋण और क्रेडिट कार्ड वितरण के साथ ही सहकारी बैंकों और समितियों के खातों में 800 करोड़ रुपये की राशि जमा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 63 हजार हितग्राहियों को फसल ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) भी प्रदान किए।

प्रधानमंत्री श्री मोदी सबसे बड़े किसान हितैषी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संसद में पारित किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अनुबंध अध्यादेश 2020, किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 के साथ ही अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम अध्यादेश 2020 को किसानों के व्यापक हित में बताते हुए उनका स्वागत किया और प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कुछ लोग भ्रम पैदा कर इन नए प्रावधानों को किसान विरोधी बताने में लगे हैं। नए कानून से न मंडियां बंद होंगी और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई आंच आएगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी सदैव किसानों के बड़े हितैषी के रूप में कार्य करते रहे हैं। वे किसानों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव चाहते हैं। ई–ट्रेडिंग और किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने के विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। इन सभी उपायों से किसानों को अधिक सुरक्षा मिलेगी।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में लेंगे सहकारिता क्षेत्र का सहयोग

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारतीय संस्कृति का मूल भाव है – सभी सुखी हों। यही भाव सहकारिता का भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। इसके अंतर्गत आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण सहकारिता से जुड़े भाई–बहन पूर्ण करेंगे। हमें मध्यप्रदेश की तस्वीर भी बदलनी है और यहां की जनता की तकदीर भी बदलनी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को विराट स्वरूप प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारी सरकार सहकारी आंदोलन को मरने नहीं देगी। सरकार के खजाने से आज जो राशि सहकारी संस्थाओं को दी जा रही है, वो कृषकों को अल्पावधि ऋण प्रदान करने में उपयोगी होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के साथ ही पशु पालक और मत्स्य पालक भी शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोविड–19 ने अर्थव्यवस्था को काफी ध्वस्त भी किया है, लेकिन हम किसान को दिक्कत में नहीं आने देंगे। किसानों के कल्याण के लिए एक साथ बहुत सी योजनाएं लागू की गई हैं। किसान पठानी ब्याज भरने को मजबूर नहीं होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पेक्स को कृषि अधोसंरचना के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर रीवा, सागर, इंदौर, जबलपुर के दुग्ध संयंत्र और दुग्ध पाउडर निर्माण संयंत्र के लिए पूर्ण सहयोग देने की बात कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों से संवाद भी किया।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

वित्तीय पत्रक प्रकाशन

इस अंक में इंदौर प्रीमियर को-आपरेटिव बैंक लि., इंदौर, श्री सत्य साई नागरिक सहकारी बैंक मर्या. भोपाल एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा के वित्तीय पत्रक प्रकाशित किये जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ की वार्षिक साधारण सभा आयोजित

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ की वार्षिक साधारण सभा संघ मुख्यालय में प्राधिकृत अधिकारी श्री उमाकांत उमराव आई.ई.एस., प्रमुख सचिव, सहकारिता, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में 28 सितम्बर 2020 को आयोजित की गई। इस अवसर पर श्री अरविंद सिंह सेंगर, प्रबंध संचालक, आवास संघ, श्री प्रदीप नीखरा प्रबंध संचालक अपैक्स बैंक, श्री अभय खरे, संयुक्त आयुक्त सहकारिता, श्री पी.एस. तिवारी सचिव विपणन सहकारी संघ, श्रीमती सुरभी वार्ष्णेय, प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, श्री प्रेम द्विवेदी, उपायुक्त सहकारिता तथा अन्य प्रतिनिधिगण उपस्थित थे तथा अन्य प्रतिनिधि गूगल मीट के तहत आमसभा से जुड़े। विषयों का प्रस्तुतीकरण एवं अभार श्री ऋतुराज रंजन प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ भोपाल के द्वारा किया गया। अध्यक्षीय उद्बोधन का मूल पाठ प्रकाशित किया जा रहा है।

हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि राज्य/जिला सहकारी संघों की आय के सीमित स्त्रोत हैं। सदस्य सहकारी संस्थाओं से अभिदाय एवं अंशदान बहुत कम प्राप्त होता हैं। ऐसी स्थिति में सशुल्क प्रशिक्षण ही आय के स्त्रोत बन सकते हैं। इस ओर राज्य सहकारी संघ द्वारा यथेष्ट प्रयास किये गये हैं। इसके साथ ही प्रशिक्षण में नई सूचना प्रौद्योगिकी का समावेश करते हुए वेबीनार आधारित प्रशिक्षण प्रारंभ किये गये हैं।

वर्ष 2019–20 में प्रमुख रूप से निम्न कार्य किये गये हैः–

1. सहकारिता विभाग में व्यापम से चयनित उप अंकेक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
2. सहकारी प्रबंध पर उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम सहकारिता विभाग के सहकारिता निरीक्षकों हेतु इंदौर तथा संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु जबलपुर में आयोजित किया गया।
3. सहकारिता विभाग की महिला अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यस्थल पर प्रभावोत्पादकता पर प्रशिक्षण दिया गया।
4. सहकारिता विभाग के अधिकारियों हेतु न्यायिक निर्णय लेखन ओर सम्वेगात्मक बुद्धि और तनाव प्रबंधन पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
5. सहकारिता विभाग के अधिकारियों हेतु ट्रेजरी के साफ्टवेयर आई एफ एम आई एस पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
6. बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी संघ के तत्वावधान में प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं के संचालकों हेतु 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
7. आजीविका मिशन अंतर्गत गठित प्राथमिक महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाओं के सदस्य/संचालकों को आधारभूत सहकारी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
8. सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत 58 हजार 440 प्रशिक्षण लक्ष्य के विरूद्ध 56 हजार 730 को प्रशिक्षित किया गया।
9. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र के आर्थिक सहयोग से नेतृत्व विकास पर तीन दिवसीय 14 प्रशिक्षण आयोजित किये गये।
10. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के आर्थिक सहयोग से भोपाल, खण्डवा तथा जबलपुर में एक दिवसीय जिला स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया।

वर्ष 2020–21 के प्रस्तावित कार्यक्रम

1. राज्य सहकारी संघ द्वारा 20 सप्ताह का सहकारी प्रबंध पर उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। लेकिन विभाग/संस्था का कार्य प्रभावित होने एवं पर्याप्त प्रशिक्षणार्थी प्राप्त नहीं हो पाने से तथा कोविड़–19 की चुनौती के तहत यह पाठ्यक्रम तथा अन्य प्रमाणपत्रीय प्रशिक्षण पत्राचार (ऑनलाईन) द्वारा किये जाने की योजना तैयार की गई है।
2. कोविड़–19 महामारी की वजह से क्लासरूम प्रशिक्षण बंद होने के कारण वेबीनार आधारित प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे हैं।
3. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के आर्थिक सहयोग से राज्य/जिला स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन करना।
4. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र के आर्थिक सहयोग से नेतृत्व विकास प्रशिक्षण का आयोजन करना।
5. शिक्षा प्रशिक्षण योजना अंतर्गत 40 हजार 630 को प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं।
6. सहकारिता विभाग/संस्थाओं के मैन्यूअलों का निर्माण, प्रकाशन तथा विक्रय।
7. प्रदेश में विभाग/संस्थाओं में मानव संसाधन की आपूर्ति निजी संस्थाओं के माध्यम से की जा रही है। इसे अब राज्य सहकारी संघ के माध्यम से विभाग/संस्थाओं की आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने की योजना तैयार की जा रही हैं।
8. सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में स्वयं की भूमि पर केन्द्र भवन निर्माण हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ को आदेशित करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 20 लाख प्रदाय किया गया हैं।
9. सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र उज्जैन एवं ग्वालियर में प्रारंभ करने हेतु भूमि आवंटन के लिए जिलाधीश को आवेदन तथा अन्य कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

उमाकांत उमराव, IAS
प्रमुख सचिव, सहकारिता एवं प्राधिकृत अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल

(पृष्ठ 1 का शेष)

सहकारिता से साकार करेंगे आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश.....

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और जीरो प्रतिशत ब्याज पर स्वीकृत ऋण राशि के प्रमाण–पत्र वितरित किये।

सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया ने मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वागत करते हुए कहा कि वर्चुअल आधार पर आयोजित इस कार्यक्रम से 15 लाख 8 हजार लोग जुड़े हैं। यह कार्यक्रम 43 हजार स्थानों पर लाइव प्रसारित हो रहा है। कुल 63 हजार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित कर 335 करोड़ रुपये की साख सीमा स्वीकृत की गई। इसके साथ ही 35 हजार 532 किसानों को 122 करोड़ का ऋण का भी सहकारी समितियों द्वारा दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से किसानों, पशु पालकों, मत्स्य पालकों के जीवन में बदलाव आ रहा है। श्री भदौरिया ने कोरोना काल में सहकारी समितियों द्वारा रबी फसल के उपार्जन की दिशा में किए गए अभूतपूर्व कार्य के लिए सहकारिता विभाग तथा इससे जुड़ी समस्त समितियों और संस्थाओं की सराहना की। उन्होंने सहकारिता प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कम्प्यूटराईज्ड व्यवस्था स्थापित करने का अनुरोध किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए राज्य सहकारी बैंक की ओर से एक करोड़ रूपए और सहकारिता विभाग के अधिकारियों– कर्मचारियों की ओर से 13 लाख 53 हजार 651 रूपए की राशि का चेक भेंट किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित भोपाल जिले के पाँच हितग्राहियों को भी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हितलाभ प्रदान किए। मध्यप्रदेश गान से आरंभ हुए इस कार्यक्रम में 'साहूकारी नहीं सहकारी से नाता जोड़ो' विषय पर फिल्म भी प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम में विधायक श्रीमती कृष्णा गौर, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रमुख सचिव सहकारिता श्री उमाकांत उमराव ने किया। वेबकास्ट, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोग इस कार्यक्रम से जुड़े। दूरदर्शन सहित सभी प्रमुख प्रादेशिक चैनल पर कार्यक्रम प्रसारित किया गया।

सबको साख-सबका विकास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों से किया संवाद

जीरो प्रतिशत ऋण की उपलब्धता पर किसान ने जताया आभार

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 'सबको साख–सबका विकास' कार्यक्रम में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 22 सितंबर, 2020 को बालाघाट, मंदसौर, भिण्ड, मुरैना और रायसेन के मत्स्य पालकों, पशु पालकों और कृषकों से बातचीत की।

जीरो प्रतिशत पर ऋण बड़ी राहत है

बालाघाट के मत्स्य पालक श्री अरविंद से मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चर्चा की। मत्स्य पालक श्री अरविंद ने बताया कि उनके समूह में पंद्रह सदस्य हैं। समूह को डेढ़ लाख का ऋण मिला। समूह सिंघाड़ा और मछली पालन करता है। लगभग 10–12 टन मछली उत्पादन होता है, जिससे 8 से 10 लाख रुपये की आमदनी होती है। जो सदस्यों में बराबरी से बांटी जाती है। श्री अरविंद ने कहा कि मछली के साथ–साथ सिंघाड़े की भी नवरात्रि के दिनों में अच्छी मांग रहेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पूछा की यदि किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो पैसे की व्यवस्था कैसे होती। इस पर श्री अरविंद ने बताया कि मजबूरी में 5 से 10 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज पर पैसा उठाया है। अब जीरो प्रतिशत पर मिल रहा ऋण बड़ी राहत है।

मोबाइल पर मेसेज आया और लोन मिल गया

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंदसौर के कृषक व पशुपालक श्री नंदकिशोर से पूछा कि लोन मिलने में कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं हुई। इस पर नंदकिशोर ने कहा कि मोबाइल पर मेसेज आया और लोन मिल गया। नंदकिशोर ने बताया कि पिछले साल से पशु पालन शुरु किया है। अब 5 गाय–भैंस हैं। दुग्ध उत्पादन से आय बढ़ी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बच्चों की पढ़ाई के बारे में जानकारी ली और कहा कि खेती के साथ–साथ पशु पालन सहायक व्यवसाय है। दोनों आपस में जुड़े हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों से खेती के साथ–साथ पशुपालन से जुड़ने की भी अपील की।

24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की जगह जीरो प्रतिशत पर लिया ऋण

मुख्यमंत्री श्री चौहान को भिण्ड के साढ़े तीन बीघा के किसान श्री राकेश तोमर ने बताया कि जरूरत होने पर 24 प्रतिशत सालाना ब्याज पर भी पैसा उठाकर खाद–बीज की व्यवस्था की है। मेहनत में कोई कमी नहीं है, रबी और खरीफ फसल के साथ–साथ सब्जी भी उगा रहे हैं। जरूरत के समय जबरिया ब्याज ने बहुत तकलीफ दी, अब केसीसी से राहत मिली है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऋण समय पर चुकाना मत भूलना।

क्रेडिट कार्ड से दूर हुई अनिश्चिता

मुरैना के कृषक श्री हरिशचंद्र ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि उन्होंने बैंक से केसीसी लेने की कोशिश की पर अंततः सहकारी बैंक से उन्हें केसीसी मिल पाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पूछा कि क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद क्या बदलाव आया। इस पर श्री हरीशचन्द्र ने बताया कि पहले स्थिति यह थी कि फसल में पानी, खाद, कीटनाशक की जरूरत होने पर पैसे के लिए साहूकारों का मुंह देखना पड़ता था। 'वाजिब ब्याज पर पैसा मिल जाए तो ठीक, नहीं तो फसल भगवान भरोसे'। क्रेडिट कार्ड मिलने से यह अनिश्चिता दूर हुई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सांची–रायसेन के श्री सौदान सिंह से बातचीत कर ऋण तथा खाद–बीज की उपलब्धता संबंधी जानकारी ली।

किसान व मजदूर आत्मनिर्भर होंगे तभी प्रदेश व देश आत्मनिर्भर बनेगा : मंत्री डॉ. भदौरिया

कृषक सहकारी सम्मेलन में दो दर्जन कृषकों को केसीसी कार्ड वितरित

भोपाल। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ.अरविन्द सिंह भदौरिया ने कहा कि मध्यप्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है, जिसमें प्रधानमंत्री के जन्म दिन को सप्ताह भर आयोजन कर गरीब कल्याण सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। मंत्री डॉ. भदौरिया 19 सितंबर, 2020 को शिवपुरी जिले के ग्राम टोड़ा में **आत्मनिर्भर भारत** अन्तर्गत आयोजित कृषक सहकारी सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे।

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी व मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रयासों से किसान, मजदूर सहित युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा गांव, गरीब, बेरोजगारों के लिये अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण सहित अन्य सुविधाएं देकर उन्हें मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक गेहूँ खरीदकर मध्यप्रेदश ने देश मे पहला स्थान प्राप्त किया है, यह किसानों की कड़ी मेहनत से ही सम्भव हो सका है। मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि जब व्यक्ति, समाज व प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा तभी राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा।

कार्यक्रम में मंत्री डॉ. भदौरिया ने लगभग दो दर्जन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये। कार्यक्रम में कोलारस के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भी अपने विचार रखें तथा शासन की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।

हर समय किसानों के साथ है प्रदेश सरकार

आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने फसल बीमा राशि के प्रमाण–पत्र किये वितरित

भोपाल। आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार हर समय किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में किसानों को शून्य प्रतिशत बिना ब्याज के ऋण राशि दी जा रही है, जो ऐतिहासिक कदम है। आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह 18 सितंबर, 2020 को सतना में फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल बीमा राशि के भुगतान के जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। सतना जिले के 1889 किसानों के खाते में 3 करोड़ 5 लाख 72 हजार रूपये की राशि ऑनलाइन जमा कराई गई। मंत्री सुश्री मीना सिंह ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने देशभर में नये रिकार्ड स्थापित किये हैं।

हम सभी का दायित्व, कोई भी बच्चा कुपोषित न रहे : सहकारिता मंत्री

लाड़ली लक्ष्मी योजना में 2999 बालिकाओं के खातों में राशि अंतरित

भोपाल। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि हम सभी का दायित्व है कि कोई भी बच्चा कुपोषित न रहे। सुपोषित मध्यप्रदेश के लिए सरकार कृत–संकल्पित है। आत्मनिर्भर व्यक्ति से आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा। इसलिए प्रत्येक बच्चे, किशोरी बालिकाओं व गर्भवती महिलाओं को सुपोषित किए जाने की दिशा में सरकार द्वारा सार्थक पहल की जा रही है। मंत्री डॉ. भदौरिया 17 सितंबर, 2020 को होशंगाबाद जिले में जिला स्तरीय पोषण कार्यक्रम में उपस्थित हितग्राहियों को संबोधित कर रहे थे। मंत्री डॉ. भदौरिया ने कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई दी।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक जन–हितैषी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में संपूर्ण प्रदेश में 16 से 23 सितम्बर तक गरीब कल्याण सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जन–कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन–जन तक पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पं. दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार कर रही है।

इस अवसर पर मंत्री डॉ. भदौरिया ने जिला पोषण प्रबंधन रणनीति का विमोचन किया। पोषण प्रबंधन रणनीति के माध्यम से कम वजन, स्टंटिन्ग, अतिगंभीर कुपोषण, एनीमिया एवं किशोरियों एवं महिलाओं में खून की कमी जैसी समस्याओं में कमी लाने हेतु वर्ष 2022 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रयास से शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाने की तैयारी की गई है। विधायक श्री सीतासरन शर्मा, विधायक श्री प्रेमशंकर वर्मा और विधायक श्री विजयपाल सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में बताया गया कि जिले में कम वजन तथा अति गंभीर कुपोषित 6812 बच्चों को पोषण आहार के साथ–साथ पौष्टिक दूध प्रदाय किया जा रहा है। कार्यक्रम में जिले की कुल 2999 बालिकाओं को ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से 74 लाख 84 हजार रूपए की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। इनमें 6वीं कक्षा की 2256 बालिकाओं को 2 हजार रूपए एवं कक्षा 9वीं की 743 बालिकाओं को 4 हजार रूपए के मान से छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया। जिला स्तरीय पोषण महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के लाइव उद्बोधन को सुना गया तथा एनीमिया एवं कुपोषण से मुक्त होकर सुपोषित मध्यप्रदेश बनाने का संकल्प लिया गया। मंत्री डॉ. भदौरिया ने कार्यक्रम के अंत में पोषण उत्सव के अवसर पर कुपोषित बच्चों को पौष्टिक दूध तथा लाड़ली लक्ष्मी योजनांतर्गत बालिकाओं को प्रमाण पत्र का वितरण किया।

किसानों की उपज को वाजिब दाम दिलवाने और रोज़गार बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम

मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर कृषि मिशन की बैठक सम्पन्न

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत 'एक जिला एक उत्पाद' योजना प्रारंभ की गई है। इसमें प्रत्येक जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा देकर व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा। जिलों में पैदा होने वाली फल–सब्जी और फसलों की ग्रेडिंग, पैकिंग तथा बेहतर मार्केटिंग के लिये अगले चार साल में 7 हजार 440 करोड़ रूपए खर्च कर आवश्यक नेटवर्क विकसित किया जायेगा। हमारा उद्देश्य है कि किसान को उसके उत्पाद का वाजिब मूल्य मिले। कृषि उत्पादों के वेल्यू एडिशन के लिए राज्य सरकार हरसंभव कदम उठाएगी। जिलावार 17 कृषि उत्पादों और तकनीकी रूप से आवश्यक 36 गतिविधियों का चिन्हांकन कर लिया गया है। प्रत्येक स्तर पर आवश्यक मार्गदर्शन के लिये तकनीकी विशेषज्ञों, कृषि वैज्ञानिकों और वित्तीय तथा व्यापार प्रबंधकों की सेवाएं ली जाएंगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान 21 सितंबर, 2020 को मंत्रालय में आयोजित मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर कृषि मिशन–एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड की बैठक को संबोधित कर रहे थे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री गिर्राज दंडोतिया, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह आदि उपस्थित थे।

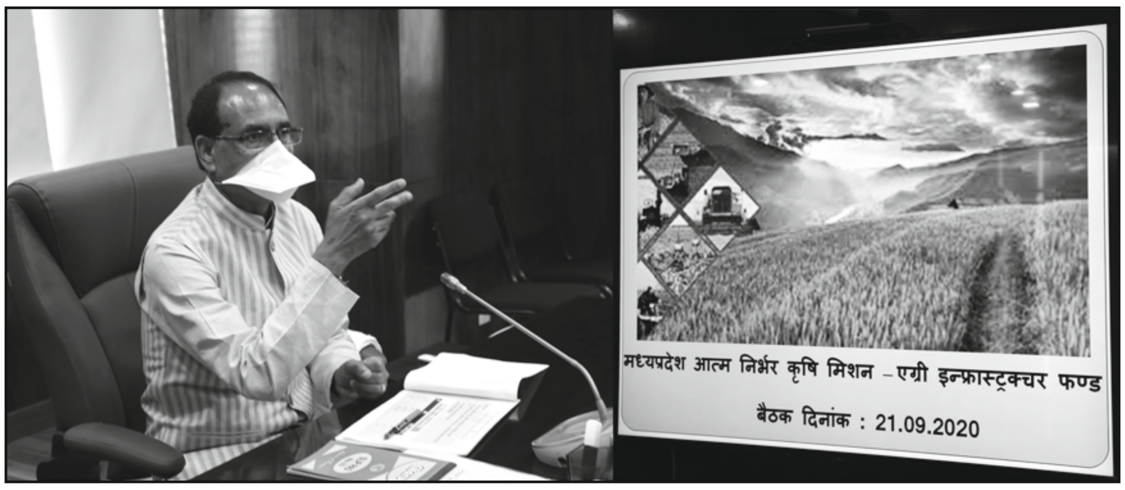

अधिकतम दो करोड़ की क्रेडिट गारंटी और ब्याज में तीन प्रतिशत की छूट

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि उत्पादों से संबंधित इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर कृषि मिशन कार्यालय की स्थापना की गई है। इसमें कृषि, सहकारिता, मत्स्य पालन उद्यानिकी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को पदस्थ किया जा रहा है। यह मिशन अधिकतम दो करोड़ रूपए तक की क्रेडिट गारंटी देगा, ब्याज में तीन प्रतिशत तक की छूट का भी प्रावधान रहेगा। यह मिशन राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट तथा सिंगल विण्डो फैसेलिटी के रूप में कार्य करेगा। इसके तहत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, निवेश क्षेत्र व एक्सपोर्ट क्लस्टर की पहचान, जिला स्तर पर विस्तृत प्रशिक्षण तथा गतिविधियों व सूचनाओं को डिजीटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराना आदि कार्य किए जाएंगे। मिशन द्वारा 15 बैंक से एम.ओ.यू.किया गया है।

श्ई–मार्केटिंग प्लेटफार्मश से जुड़ेंगे किसान

प्रदेश के 17 जिलों से विभिन्न योजनाओं की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गई है। पाँच मॉडल डी.पी.आर. भी तैयार हैं। इफ्को द्वारा स्वर्ण आहार इकाई प्रदेश में स्थापित करने के लिए रूचि प्रकट की गई है। मिशन के तहत प्रदेश में 150 किसान काउंटर खोले जाएंगे, इनमें ई–मार्केटिंग प्लेटफार्म से किसानों को जोड़ा जाएगा।

पारदर्शिता और पात्र व्यक्तियों का चयन आवश्यक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि से संबंधित इन गतिविधियों से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने मिशन से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए। श्री चौहान ने कहा कि इन गतिविधियों में किसान उत्पादक संगठनों के साथ–साथ स्व–सहायता समूहों को भी जोड़ा जाए। अनुदान वितरण में पारदर्शिता और पात्र व्यक्तियों का चयन सुनिश्चित किया जाए।

जिलावार होगी फल–सब्जियों की मार्केटिंग

श्वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्टश के अंतर्गत आगर–मालवा व राजगढ़ में संतरा, अलीराजपुर में सफेद मूसली, अनूपपुर, बालाघाट, सीधी व उमरिया में आम, अशोकनगर व गुना में धनिया, बड़वानी, दमोह, धार, सागर, सतना, झाबुआ, कटनी, रायसेन तथा शिवपुरी में टमाटर, बैतूल में काजू, भिण्ड, छिंदवाड़ा, देवास, ग्वालियर, मुरैना, उज्जैन और इंदौर में आलू, भोपाल व श्योपुर में अमरूद, बुरहानपुर में केला, छतरपुर, रीवा और शहडोल में हल्दी, जबलपुर में हरी मटर, मंदसौर, रतलाम और दतिया में लहसुन, पन्ना में आँवला, हरदा व खरगौन में मिर्च, होशंगाबाद में नींबू, शाजापुर व खण्डवा में प्याज और टीकमगढ़ तथा निवाड़ी में अदरक की ग्रेडिंग, सोर्टिंग तथा आवश्यकतानुसार राइपनिंग, कोल्ड स्टोरेज कोल्ड चैन सुविधा विकसित की जाएगी।

प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषि मिशन के तहत कृषि उत्पादों में वेल्यू एडिशन के लिए आधुनिकतम तकनीक पर आधारित 36 परियोजनाओं को जोड़ा गया है। इनमें वेयर हाउस, प्याज भंडारण सुविधा, होपर बॉटम सायलो, ग्रेडिंग एवं सॉर्टिंग, लहसुन, उन्नत बीज, कोंदो कुटकी, सफेद मूसली, मूंगफली, टमाटर, धनिया की ग्रेडिंग व पैकेजिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, संतरा, कद्दू की ग्रेडिंग एवं स्टोरेज, आलू कोल्ड स्टोरेज, केला राइपनिंग स्टोरेज सेंटर, टमाटर एवं लहसुन सॉस उत्पादन इकाई, सीताफल प्रोसेसिंग यूनिट, सोया उद्योग यूनिट, आम आधारित उद्योग, मिनी राईस मिल, कम्बाइन हार्वेस्टर, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, केला टिशू कल्चर, कृषि सेवा केन्द्र/कॉमन सर्विस सेंटर, कृषि व्यवसाय विकास केन्द्र, ई–मार्केटिंग प्लेटफार्म, इफ्को बाजार, अजवाइन यूनिट, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, एल.पी.जी. एजेंसी, पेट्रोल पम्प, बायो–डीजल, पशु आहार यूनिट तथा गुड़ की क्यूब उत्पादन इकाई शामिल हैं।

मछुआ संघों के सदस्यों को आधुनिक तकनीक के लिए अन्य प्रांतों में भेजा जाएगा

मत्स्य महासंघ की 24वी वार्षिक बैठक सम्पन्न

भोपाल। मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट की अध्यक्षता में मप्र मत्स्य महासंघ की 24 वी वार्षिक बैठक 22 सितंबर, 2020 को में सामूहिक अनुमोदन से आगामी वर्ष के लिए 12 हजार मैट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष संघ को 9 करोड से अधिक की शुद्ध आय प्राप्त हुई है। शासन 6 रुपए प्रति किलो के मान से 3 करोड़ 18 लाख की रॉयल्टी भी दी गई है।

मंत्री श्री तुलसी राम सिलावट ने कहा कि आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के लिए विभाग और मत्स्य महासंघ की भूमिका महत्वपूर्ण हैं मछुआ महासंघ के सदस्यों के जीवन में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए संघ प्रभावी भूमिका निभा सकता है। सहकार के बिना उद्धार संभव नहीं है। इसके लिए सामूहिक रुप से प्रयास किये जाने चाहिये। श्री सिलावट ने कहा कि मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिये नई तकनीकों का प्रयोग करें, इसके लिए मछुआ संघ के सदस्यों को ज्यादा मछली उत्पादन करने वाले प्रदेशो में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए। वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग कर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन बढ़ाया जाये।

मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि मछुआ संघ के सदस्यों के बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिये स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए जाये। उन्होंने कहा कि कृषि की तुलना में मछली उत्पादन व्यवसाय से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। अधिक से अधिक लोग इस व्यवसाय से जुड़ेंगे तो उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।

महासंघ की सभा मे बताया गया कि 1 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मध्यम और बड़े तालाब में आधुनिक तकनीक का प्रयोग शुरू किया गया है

किसानों को फसल बीमा में न्यूनतम राशि का निर्धारण किया जाएगा

भोपाल। प्रदेश में किसानों को फसल बीमा योजना का यथोचित लाभ दिलाए जाने के लिए जल्द ही न्यूनतम बीमा राशि का निर्धारण किया जाएगा। वर्तमान में भी प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों को सम्मानजनक राशि का भुगतान बीमा योजना अंतर्गत किया जाए।

कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार अनुपपुर जिले में औसतन 5268 रुपए, बैतूल में 10,804 रुपए, बुरहानपुर में 49,360 रुपए, धार में 16,362 रुपए, हरदा में 20728 रुपए, होशंगाबाद में 16,772 रुपए, इंदौर में 19,664 रुपए, झाबुआ में 1228 रुपए, पूर्वी निमाड़ खंडवा में 10,232 रुपए, पश्चिम निमाड़ खरगोन में 3397 रुपए, सीहोर में 13,999 रुपए, शहडोल में 5774 रुपए और उमरिया जिले में 5763 रुपए औसतन प्रति किसान बीमा राशि का भुगतान किया गया है।

इन्दौर प्रीमियर को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (धारा 29) ''तालीका तीन'' फार्म ''अ''

स्थिति विवरण पत्रक 31 मार्च 2020 अन्त पर (01–04–2019 से 31–03–2020)

स्थिति विवरण पत्रक — *पूंजी एवं दायित्व 31 मार्च 2020*

गतवर्ष की रकम	क्रमांक	पूंजी एवं दायित्व		राशि	राशि
1,00,00,00,000.00	1.	**अंशपूंजी**			**1,00,00,00,000.00**
		1. अधिकृत अंशपूंजी			
		''अ''वर्ग के अंश रू0 1000 प्रतिअंश			
		''ब'' वर्ग के अंश रू0 1000 प्रतिअंश			
		''स'' वर्ग के अंश रू0 100 प्रतिअंश			
		''द'' वर्ग के अंश रू0 100 प्रतिअंश			
		2. जारी की हुई अंशपूंजी:			
		''अ''' वर्ग के अंश रू0 1000 प्रतिअंश			
		''ब'' वर्ग के अंश रू0 1000 प्रतिअंश			
		''द'' वर्ग के अंश रू0 100 प्रतिअंश			
		3. प्रदत्त अंशपूंजी:			
14,74,506.00		अंशों में प्रतिअंश रू0	100	14,89,806.00	
62,88,48,900.00		अंशों में प्रतिअंश रू0	1000	63,75,39,900.00	
19,83,86,100.00		अंशों में प्रतिअश रू0	1000	19,83,86,100.00	
		4. उक्त (3) में से धारित			83,74,15,806.00
14,74,506.00	14745	नाममात्र सदस्यों द्वारा	14898	14,89,806.00	
62,88,48,900.00	628849	समितियों द्वारा	637540	63,75,39,900.00	
19,83,86,100.00	198386	राज्य शासन द्वारा	198386	19,83,86,100.00	
	2.	**रक्षित निधि एवं अन्य निधियां:**			52,95,46,337.28
15,50,10,632.00		1. रक्षित निधि		16,34,72,984.00	
12,74,27,094.00		2. कृषि साख स्थिरता निधि		13,63,27,318.00	
3,39,35,000.00		3. भवन निधि		3,39,35,000.00	
1,56,824.31		4. लाभांश समीकरण निधि		1,56,724.31	
12,75,000.00		5. सहकारिता विकास निधि		13,75,000.00	
		6. अन्य कोष एवं निधियां			
1,49,02,375.26		अ. सामान्य रक्षित निधि		1,49,32,375.26	
33,85,895.30		ब. फर्नीचर एवं डेडस्टाक निधि		33,85,895.30	
34,14,850.22		स. वाहन निधि		36,88,516.22	
1,08,05,764.09		द. कर्मचारी कल्याण निधि		1,08,66,626.76	
39,55,917.43		क. अमानत गारंटी फण्ड		39,55,917.43	
11,44,302.00		ख. भवन एव साजसज्जा निधि		11,44,302.00	
1,92,500.00		ग. प्रतिभावान छात्रों के लिये पुरूस्कार प्रावधान		1,92,500.00	
10,00,000.00		घ. सह.संस्थाओं के गोदाम भवन निर्माण हेतु प्रावधान		10,00,000.00	
2,43,39,164.00		च. कोर बैंकिंग हेतु निधि		2,43,39,164.00	
3,96,67,245.00		छ. कम्प्यूटर स्थापना निधि		3,96,67,245.00	
91,06,820.00		ज. कर्मचारी प्रशिक्षण निधि		97,83,808.00	
16,00,000.00		झ. सुरक्षा निधि		16,00,000.00	
1,00,000.00		य. विनियोजन अस्थिरता निधि		7,00,000.00	
8,78,03,290.00		र. रिवेल्युएशन रिजर्व		7,90,22,961.00	
	3.	**मुख्य/सहायक राज्य भागीदारी निधिखाता अंशपूंजी के लिये:**			
-		अ. केन्द्रीय सह0 अधिकोष		-	
-		ब. प्रा0कृषि सह0साख संस्थायें		-	
-		स. अन्य समितियां		-	
	4.	**अमानतें एवं अन्य खाते:–**			10,04,97,07,151.49
		1. मुद्दती अमानत:			
2,73,24,88,700.62		1. व्यक्तिगत		3,26,22,16,605.75	
-		2. केन्द्रीयसह0 अधिकोष		-	

स्थिति विवरण पत्रक — *सम्पत्ति तथा लेना 31 मार्च 2020*

गतवर्ष की रकम	क्रमांक	सम्पत्ति एवं लेना		राशि	राशि
1,28,73,47,623.52	1.	**रोकड़:–**			**63,95,69,767.54**
		नगदी और रिजर्व बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया, तथा राज्यसहकारी अधिकोष में:–			
16,92,72,300.00		अ. नगद		16,84,26,329.50	
3,74,50,258.88		ब. भारतीयस्टेट बैंक और सहायक बैंक्स में		4,05,74,346.03	
39,70,06,831.80		स. राष्ट्रीयकृत बैंक्स में		38,87,41,717.65	
68,36,18,232.84		द. म0प्र0 राज्य सह0अधिकोष में		4,18,27,374.36	
	2.	**अन्य अधिकोषों में :**			1,83,30,95,754.09
24,63,61,290.97		अ. चालू खाते में		21,22,50,240.09	
-		ब. सेविंग खाते में		-	
1,42,96,23,410.00		स. मुद्दती अमानतखाते में		1,62,08,45,514.00	
	3.	**मांग तथा अल्पकालीन सूचना विनियोग:**			
-		टर्म डिपाजिट विथ अपेक्स बैंक		-	
-	4.	**विनियोजन:**			2,22,04,49,981.00
		अ. केन्द्रीय एवं राज्य शासन की प्रतिभूति में: (खरीद मूल्य)			
		दर्शनीय कीमत	2,00,33,62,250.00		
		प्रीमियम पेड	69,11,000.00		
2,05,61,27,831.00		बाजार कीमत	2,09,65,70,000.00	2,00,56,99,981.00	
5,000.00		ब. अन्य जमानती प्रतिभूतियों पर		5,000.00	
21,47,45,000.00		स. अन्य सहकारी संस्थाओं के अंशों में (नीचे के 5 को छोडकर)		21,47,45,000.00	
-		द. नान एस. एल. आर. बाण्ड (आई0डी0बी0आई0 रेग्युलर इनकम बाण्ड)		-	
	5.	**राज्य भागीदारी की मुख्य/सहायक पूंजी**			
-		क. अंशपूंजी में विनियोग:		-	
-		ख. केन्द्रीय सहकारी बैंक	-	-	
-		ग. प्राथ0कृषि सह0साख संस्थायें	-	-	
-		घ. अन्य सह0समितियां	-	-	
	6.	**ऋण: /अग्रीम**			9,30,53,69,722.26
8,19,67,42,522.92		अ. अल्पा0ऋण नगदी साख अधि0 तथा बिलों में जो प्रतिभूत है		8,58,98,74,001.23	
		1. शास0एवं अन्य अनु0 प्रति0पर			
		2. अन्य ठोस प्रतिभूति			
		इनमें से व्यक्तिगत	-		
		इनमें से कालातीत	-		
		घटिया आस्तियां	33,77,29,000.00		
		संदिग्ध आस्तियां	5,86,73,000.00		
		घाटा उठाने वाली आस्तियां	6,86,93,000.00		
67,98,02,939.79		ब. मध्या0ऋण जो प्रतिभूत है		48,86,93,017.61	
		1. शास0 एवं अन्य अनु0प्रति0पर			
		2. अन्य ठोस प्रति0 में से प्रतिभूति			
		इनमें से व्यक्तिगत	-		
		इनमें से कालातीत	-		
25,85,13,437.19		स. लम्बी अवधि ऋण जो प्रतिभूत है		22,68,02,703.42	
		1. शास0एवं अन्य अनु0प्रतिभूति पर			
		2. अन्य ठोस प्रति0 में से प्रति 1			
		इनमें से व्यक्तिगत	-		
		इनमें से कालातीत	-		
30,00,00,000.00		द. कंसोरटियम फायनेन्स अपेक्स बैंक के माध्यम से		-	
		इनमें से कालातीत	-		

स्थिति विवरण पत्रक — पूंजी एवं दायित्व 31 मार्च 2020

गतवर्ष की रकम	क्रमांक	पूंजी एवं दायित्व	राशि	राशि
2,48,16,74,526.70		3. अन्य समितियां	2,48,86,66,128.58	
		2. सेविंग अमानतः		
3,24,93,29,354.19		1. व्यक्तिगत	3,38,03,62,573.75	
-		2. केन्द्रीय सह0 अधिकोष	-	
63,92,44,957.47		3. अन्य समितियां	75,91,88,894.01	
		3. चालू अमानतः		
7,94,14,327.54		1. व्यक्तिगत	7,51,18,384.79	
-		2. केन्द्रीय सह0 अधिकोष	-	
6,92,44,964.99		3. अन्य समितियां	8,41,54,564.61	
		4. मांग एवं अल्पसूचना अमानत		
	5. ऋण देना –			2,01,70,59,970.00
		1.राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक / म0प्र0 राज्य सहकारी अधिकोष		
3,32,93,00,000.00		अ. अल्पा.ऋण नगद साख एवं अधिविकर्ष जो प्रतिभूत हैं ।	1,98,29,00,000.00	
		1. शास.एवं अन्य अनु. प्रतिभूतियों पर		
		2. अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर –		
4,31,95,580.00		ब. मध्यावधि ऋण जो प्रतिभूत है	3,22,62,800.00	
		1. शास.एवं अन्य अनु.प्रतिभूतियों पर		
		2. अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर		
30,41,856.00		स. लंबी अवधि ऋण जो प्रतिभूत है –	13,37,130.00	
		1. शास. एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों पर		
		2. अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर		
-		2. भारतीय स्टेट बैंक –	-	
		अ. अल्पाकालीन ऋण		
		ब. मध्यकालीन ऋण		
		स. लम्बी अवधि ऋण		
-		3. राज्य शासन से	-	
		अ. अल्पाकालीन ऋण		
		ब. मध्यकालीन ऋण		
		स. लम्बी अवधि ऋण		
		4. अन्य स्त्रोत से		
8,31,787.00		अ. एकीकृत सह.विकास परियोजना	5,60,040.00	
1,36,12,489.97	6. शाखाओं का जमाखर्च			2,15,18,617.00
19,65,29,506.35	7. ब्याज जो देना है			19,58,16,762.06
	8. प्रावधान			34,62,04,972.11
2,80,00,000.00		1. मानक आस्तियों के लिये रिजर्व	2,90,00,000.00	
18,92,64,972.11		2. संदिग्ध एवं डूबंत ऋणनिधि	20,79,64,972.11	
8,40,00,000.00		3. कालातीत ब्याजकोष	8,40,00,000.00	
86,60,000.00		4. विनियोजन ह्रास निधि	86,60,000.00	
1,10,00,000.00		5. ऋण असंतुलन निधि हेतु	1,10,00,000.00	
50,80,000.00		6. कृषि विकास एवं गृह निर्माण ऋण के लिए संचय	55,80,000.00	
	9. अन्य देनदारियां विवरणः			26,57,94,488.58
14,102.00		क. देय लाभांश	20,906.00	
2,43,06,815.89		ख. किरकोल अमानत	5,57,76,175.00	
4,07,64,380.28		ग. फुटकर देनदारियां	2,44,25,272.71	
13,10,54,032.67		घ. समायोजन (एडजंस्टीग अकाउण्ट देना)	7,90,88,681.71	
30,78,753.00		ड. कर्मचारी भविष्यनिधि	33,77,526.00	
45,195.00		च. बिल्स पे–एबल	-	
92,02,727.00		छ. कर्म0को बोनस / एक्स0 देना बाकी	94,09,561.00	
10,00,000.00		ज. आडिट फीस देना बाकी	12,00,000.00	
-		झ. केडर फण्ड	49,211.00	
9,21,526.73		ण. पैमेंटआर्डर पे–एबल अकाउन्ट	23,621.73	
79,51,125.08		य. बैंकर्स चेक पेएबल अकाउन्ट	43,35,763.77	
12,52,196.58		र. कर्मचारी उपादान निधि	12,52,196.58	
22,03,705.00		ल. इनकम टेक्स देना बाकी	22,03,705.00	
21,82,374.34		व. डी.डी. पै–एबल अकाउन्ट	21,71,451.34	
1,05,69,400.26		श केश क्रेडिट सभाओं का क्रेडिट बैलेन्स	1,61,20,321.46	
-		ष डिफर्ड टेक्स लायबिलिटज	-	
21,03,49,782.58		स एन इ एफ टी देना बाकी	6,49,71,658.81	
4,63,088.80		ह जी. एस. टी. पे–एबल	13,57,036.47	
-		क्ष IMpS देना बाकी	11,400.00	

स्थिति विवरण पत्रक — सम्पति तथा लेना 31 मार्च 2020

गतवर्ष की रकम	क्रमांक	सम्पत्ति एवं लेना	राशि	राशि
1,89,648.00	7. डिफर्ड टैक्स असेट्स (डी.टी.ए.)		-	1,75,454.00
15,88,56,935.44	8. प्राप्ति योग्य ब्याज			15,10,18,854.88
		इसमें से कालातीत	6,15,01,004.88	
-	9. शाखा समायोजन			-
	10. भवन		10,58,44,434.21	
10,55,61,347.00		(घसारा निधि जो कम की गई)	1,08,39,222.21	9,50,05,212.00
	11. फर्नीचर फिक्चर्स –		4,88,19,830.96	
1,92,65,070.00		(घसारे की रकम जो कम की गई)	2,66,91,564.96	2,21,28,266.00
		अ. जीप कार	60,61,839.50	
31,38,789.00		(घसारे की रकम जो कम की गई)	36,95,661.50	23,66,178.00
		ब. लॉकर्स	89,74,771.25	
30,42,218.00		(घसारे की रकम जो कम की गई)	38,44,216.25	51,30,555.00
		स. कम्प्यूटर	3,56,63,824.79	
13,68,161.00		(घसारे की रकम जो कम की गई)	3,45,66,409.79	10,97,415.00
	12. अन्य सम्पत्तियांः			4,53,78,691.73
8,24,984.00		अ. केन्द्र शासन से ऋण राहत की रकम लेना बाकी	8,24,984.00	
15,902.00		ब. त्यौहार अग्रिम	38,107.00	
1,280.00		स. दौरा अग्रिम	1,943.00	
10,08,374.75		द. अन्य अग्रिम	9,73,015.75	
2,24,93,455.67		क. समायोजन	1,72,87,139.16	
24,03,899.52		ख. स्टाक फार्म व रजिस्टर	29,08,213.72	
16,962.00		ग. लॉकर किराया लेना बाकी	16,962.00	
59,065.00		य. एम0पी0ई0बी0 में डिपाजिट	59,065.00	
1,99,77,004.00		र. आयकर लेना बाकी	2,02,98,392.10	
-		ल. एटीएम रिसिव्हेबल	15,20,560.00	
10,099.00		व. आर.बी.आई.डिप.अका.लेना बाकी	22,780.00	
10,84,308.00		श जी. एस. टी. रिसिव्हेबल	10,50,716.00	
-		I IMpS लेना बाकी	3,76,814.00	
-	13. नान बैंकिंग असेट्स के दावों के भुगतान से प्राप्त		-	-
-	14. लाभ एवं हानि		-	-
15,00,85,86,557.77	म हा यो ग			14,32,07,85,851.50

सही / –
हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते मे.दस्सानी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 009096C

सही / –
(C.A. चर्चिल जैन)
साझेदार
मेम्बरशिप नं. 409458
स्थान : इन्दौर
दिनांक :

सही / –
(ए.के. नागोर)
प्र. सांख्यिकी अधिकारी

सही / –
(कमल भावे)
प्र. प्रबन्धक(लेखा)

सही / –
(एस.के.खरे)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

सही / –
(मदन गजभिये)
प्रशासक एवं उपायुक्त,
सहकारिता, इन्दौर

स्थिति विवरण पत्रक *पूंजी एवं दायित्व 31 मार्च 2020*

गतवर्ष की रकम	क्रमांक	पूंजी एवं दायित्व	राशि	राशि
	10. लाभ–हानिः			5,77,21,746.98
4,87,50,833.74		गत स्थिति विवरण पत्रक के अनुसार लाभ	5,13,82,150.01	
3,12,18,089.74		(–)कम किया, जो अंकेक्षण वर्ष में वितरित किया गया	3,38,49,406.01	
1,75,32,744.00		शेष संचित लाभ	1,75,32,744.00	
3,38,49,406.01		(+)जोड़ो इस वर्ष का लाभ जो लाभ हानि पत्रक से आया	4,01,89,002.98	
	11. आकस्मिक देनदारियां			
-		1. दी गई प्रत्याभूति के विरूध्द देय राशि	-	-
-		2. अन्य	-	-
15,00,85,86,557.77	**महायोग**			**14,32,07,85,851.50**

सही / –
हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते मे.दस्सानी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 009096C

सही / –
(C.A. चर्चिल जैन)
साझेदार

सही / – (ए.के. नागोर) प्र. सांख्यिकी अधिकारी | सही / – (कमल भावे) प्र. प्रबन्धक(लेखा) | सही / – (एस.के.खरे) मुख्य कार्यपालन अधिकारी | सही / – (मदन गजभिये) प्रशासक एंव उपायुक्त, सहकारिता, इन्दौर

स्वतंत्र अंकेक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

सदस्यगण,

इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,

इन्दौर (म. प्र.)

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड**, इन्दौर (जिन्हें कि यहाँ पर आगे बैंक कहा गया है) जिसका पंजीयन क्रमांक 21 दिनांक 31 मार्च, 1916 है, के संगठन वित्तीय विवरणों जिसमें **दिनांक 31 मार्च 2020** का तुलन पत्र तथा इस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लाभ-हानि खाता विवरणी एवम् महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ सम्मिलित है, का लेखा-परीक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणों में निगमित हमारे द्वारा अंकेक्षित 29 शाखाओं का विवरणियाँ है।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधतंत्र का दायित्व

1. बैंक का प्रबंधतंत्र इन वित्तीय विवरणों, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जहाँ तक सहकारी बैंक के लिये लागू होता है), म.प्र, सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 और संबंधित नियमों के अनुसार तैयार करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रंण की संरचना क्रियान्वयन एवं रख-रखाव सन्निहित है, जो एक सही एव निष्क्ष स्थितीं प्रस्तुत करते है तथा किसी भी प्रकार के त्रुटिवश अथवा कपटता से महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

2. हमारा दायित्व हमारे द्वारा कि गई लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है, हमने हमारी लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इण्डिया (ICAI) द्वारा जारी लेखाकन मानकों के अनुरूप की गई है । यें मानक अपेक्षा करते है कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुये लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और सम्पन्न करे कि इन वित्तीय विवरणीयों के सही एवम् किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त होने का समुचित आश्वासन प्रकट हो सके ।
3. एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, जिनसे वित्तीय विवरणीयों में दी गई राशियों एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए जा सके। इन कियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमे वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण होने से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है। इन जोखिमों के आंकलनो मे लेखा परीक्षा की वित्तीय विवरणियों के निर्माण एव प्रस्तुतिकरण में समिति के संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करते है, जो कि प्रदत्त परिस्थितियों में इस प्रकार कि उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया बनाने के लिये है, जो सही एवम् निष्पक्ष चित्रण कर सके। एक लेखा परीक्षा में अपनाई गई नीतियों कि उपयुक्ता का आकलन एवं प्रवंधतंत्र द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है ।

इन्दौर प्रीमियर को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (धारा 29) ''तालिका तीन'' फार्म ''ब''

31.03.2020 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि पत्रक (दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)

गतवर्ष की रकम	क्रमांक खर्च का विवरण	राशि	राशि
71,96,71,572.50	1. अमानत तथा ऋण पर ब्याज	73,17,87,894.89	
20,76,79,688.66	2. वेतन और भत्ते तथा भविष्य निधि	19,80,57,718.50	
1,56,396.00	3. संचालक मण्डल एवं स्थानिय समितियों के, सदस्यों का शुल्क एवं भत्ता	13,482.00	
1,80,61,238.36	4. किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यय	2,24,88,568.04	
2,22,887.00	5. विधि व्यय	6,26,575.00	
6,27,353.61	6. डाक, दूरलेख एवं दूरभाष व्यय	5,74,136.00	
8,14,300.00	7. अंकेक्षण शुल्क	12,30,750.00	
78,90,439.97	8. सम्पत्ति पर घसारा एवं दुरूस्ती	1,21,31,412.05	
18,58,724.00	9. लेखन सामग्री, छपाई एवं विज्ञापन	17,18,521.09	
-	10. नान बैंकिंग असेट्स के बेचान से हानि	-	
77,21,514.03	11. अन्य व्यय (केडर फण्ड में, राज्य, जिला सह. संघ को चंदा व अन्यखर्च)	76,91,584.19	
1,07,94,106.92	12. कोर बैंकिंग	74,69,311.43	
3,00,000.00	13. रिवर्स फसल बीमा प्रीमियम	-	
47,65,872.47	14. जी. एस. टी. भुगतान	55,61,835.76	
79,79,419.00	15. प्रीमियम दिया शासकिय प्रतिभुतियो पर	4,27,850.00	
2,00,00,000.00	16. अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण कोष में प्रावधान	1,87,00,000.00	
10,00,000.00	17. मानक आस्तियों की निधि के लिये प्रावधान	10,00,000.00	
2,60,000.00	18. प्रावधान कर्म0को बोनस / एक्स0 देना बाकी	-	
5,00,000.00	19. कृषि विकास एवं गृह निर्माण ऋण के लिये संचय	5,00,000.00	
1,62,38,141.00	20. वर्ष 2019–20 में आयकर के लिये प्रावधान	1,49,30,551.61	
4,47,052.00	21. डिफर टेक्स लायबेलिटिज के लिये प्रावधान	14,194.00	
3,38,49,406.01	22. शुध्द लाभ वर्ष 2019–2020	4,01,89,002.98	
1,06,08,38,111.53	***कुल योग***	***1,06,51,13,387.54***	***1,06,51,13,387.54***

सही / –
हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते मे.दस्सानी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 009096C

सही / –
(C.A. चर्चिल जैन)
साझेदार
मेम्बरशिप नं. 409458
स्थान : इन्दौर
दिनांक :

सही / – (ए.के. नागोर) प्र. सांख्यिकी अधिकारी | सही / – (कमल भावे) प्र. प्रबन्धक(लेखा) | सही / – (एस.के.खरे) मुख्य कार्यपालन अधिकारी | सही / – (मदन गजभिये) प्रशासक एंव उपायुक्त, सहकारिता, इन्दौर

इन्दौर प्रीमियर को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (धारा 29) ''तालिका तीन'' फार्म ''ब''

31.03.2020 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि पत्रक (दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक)

गतवर्ष की रकम	क्रमांक आमदानी का विवरण	राशि	राशि
1,04,21,12,358.86	1. ब्याज एवं बट्टा	1,04,95,99,298.39	
51,91,002.24	2. कमीशन विनिमय एवं दलाली	16,42,523.51	
-	3. अनुदान एवं दान	-	
-	4. नान बैंकिंग असेट्स के कय विकय से लाभ	-	
1,35,34,750.43	5. अन्य प्राप्तियां	1,38,71,565.64	
-	6. डिफर्ड टैक्स असेट्स (डी.टी.ए.)	-	
-	7. हानि यदि हो	-	
1,06,08,38,111.53	**कुल योग**	**1,06,51,13,387.54**	**1,06,51,13,387.54**

सही / –
हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते मे.दस्सानी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 009096C

सही / –
(C.A. चर्चिल जैन)
साझेदार
मेम्बरशिप नं. 409458
स्थान : इन्दौर
दिनांक :

सही / – (ए.के. नागोर) प्र. सांख्यिकी अधिकारी | सही / – (कमल भावे) प्र. प्रबन्धक(लेखा) | सही / – (एस.के.खरे) मुख्य कार्यपालन अधिकारी | सही / – (मदन गजभिये) प्रशासक एंव उपायुक्त, सहकारिता, इन्दौर

4. हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा अभिमान के पर्याप्त एवं उपयुक्त होने के लिये आधार उपलब्ध कराता है,
5. COVID 19 के कारण अंकेक्षण क्षेत्र की सीमा (स्कोप लिमिटेशन) - वर्तमान रिपोर्ट में व्यक्त की गई राय बैंक प्रबंधन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी, तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित है। हमारा अभिमत का आधार, बैंक के समस्त सतत अंकेक्षणो / आंतरिक अंकेक्षणो के रिपोर्ट पर तथा उनके द्वारा दी गई राय, पर भी निर्भर करता है ।

अर्हता प्राप्त (क्वालीफाइड) अभिमत के लिए आधार (Basis for Qualified Opinion)

6. बैंक ने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इण्डिया (ICAI) द्वारा लेखांकन मानक 3 (रोकड़ प्रवाह विवरण), लेखांकन मानक 15 (अवकाश नगदीकरण का उपचय तथा ग्रेच्युटी), लेखांकन मानक 17 (खंड विवरणी), लेखांकन मानक 20 (प्रति अंश आय), एवं लेखांकन मानक 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताए एवं आकस्मिक संपत्तियाँ) अनुपालन और सूचना के प्रकटीकरण का अनुसरण नहीं किया है ।
7. अंकेक्षण के दौरान सम्पत्तियों (अग्रिमो) के सही वर्गीकृत करने की प्रक्रिया मे दोष पाया गया है । हम सम्पत्तियों (अग्रिमो) के सही वर्गीकरण जोकि मानक, गैर निष्पादक, अवमानक और संदिग्ध सम्पत्तियों में होनी चाहिए, अभियन्त्रिक तंत्र (CBS system) में गलत प्रविष्ठि होने के कारण सही वर्गीकृत करने में असमर्थ है | हम अभियन्त्रिक तंत्र (कम्प्यूटरीकृत CBS) व्यवस्था में गैर निष्पादक संपत्तियाँ (NPA) कि प्रविष्ट गलत होने के कारण गैर निष्पादक संपत्तियां (NPA) के सभी वर्गीकरण जो कि अवमानक और सदिग्ध संपत्तियों (Sub Standard & Doubtful Assets) किया जाना था, को कम्प्यूटरीकृत (CBS) व्यवस्था द्वारा सत्यापित करने मे असमर्थ है एवं उसके परिणाम स्वरूप खराब और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान (Provision for bad and doubtful debts) के प्रभाव को निश्चित करने में असमर्थ पाते है | इसके अतिरिक्त गैर निष्पादक संपत्तियों (NPA a/c) मे कोई राशि जमा हो जाने उसके वर्गीकरण मे होने वाले बदलाव को सत्यापित करने मे असमर्थ है। उपरोक्त के अतिरिक्त सम्पत्तियों के गलत वर्गीकरण के कारण कम्पुटर सिस्टम के द्वारा निकाले गये ब्याज और ना निकाले गये ब्याज की राशि की गणना करना संभव नहीं है | हमें यह भी बताया गया कि गैर निष्पादक सम्पत्तियों (NPA) की राशि पर प्रावधान हस्तलिखित अभिलेख के आधार पर किया गया चुकि अभियन्त्रिक तंत्र (CBS system) अभिलेख और हस्तलिखित अभिलेख में अंतर है अतः अभियन्त्रिक तंत्र (CBS system) अभिलेख में ब्याज के आय की राशि की गणना को सही नहीं माना जा सकता। उक्त के कारण तुलन पत्र तथा लाभ हानि पत्रक मे होने वाले प्रभावों की गणना मे असमर्थ है।
8. बैंक के तुलन पत्र के अनुसार 31 मार्च 2020 की स्तिथि मे संपत्तियों की ओर अकाउंट एजस्टमेंट adjusting account receivable मे राशि 172.87 लाख तथा देयताओ की और मे Sundry Deposits (जिसमे सस्पेन्स अकाउंट एवं किर्कोल अमानत इत्यादि जुड़ी हुई है) मे राशि 557.76 लाख की राशियाँ दर्शाई गई है । उक्त खाते पूर्व के वर्षों मे भी थे । वर्ष के दौरान उक्त खातों मे होने वाले लेनदेन की जानकारी की गणना कर उनका सही विवरण 31 मार्च 2020 की स्तिथि मे देने मे असमर्थ है ।
9. एग्रीकल्चर इन्शुरेन्स कम्पनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड से अप्राप्य इन्शुरेन्स (Insurance receivable) रुपये 1,84,880/- की लेखा प्रविष्ठी बैंक की लेखा पुस्तकों में नहीं की गयी है जिससे बैंक की आय रुपये 1,84,880/- से कम बताई गयी हैं।
10. कलेक्टर इंदौर से अप्राप्य आय रुपये 98,784/- की लेखा प्रविष्ठी बैंक की लेखा पुस्तकों में नहीं की गयी है जिससे बैंक की आय रुपये 98,784/- से कम बताई गयी हैं।
11. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी देहली से अप्राप्य कमीशन रुपये 1,045/- की लेखा प्रविष्ठी बैंक की लेखा पुस्तकों में नहीं की गयी है जिससे बैंक की आय रुपये 1,045/- से कम बताई गयी हैं।
12. बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न उधारों पर ब्याज व्यय 30 मार्च तक का ही बुक किया गया है। अतः एक दिन के ब्याज की राशि 8,59,548/- रुपये है, जिसका प्रावधान नहीं किया गया है । जिसके परिणामस्वरूप बैंक का लाभ उक्त राशि से ज्यादा आ रहा है।
13. बैंक की लेखा पुस्तकों में बताये गये जीएसटी (GST) के आकड़ो और GST वेबसाइट (माल एवं सेवा कर की पोर्टल) में उल्लेखित आकड़ो में अंतर पाया गया, तथा उक्त का समाधान पत्रक प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार जीएसटी SGST & CGST मे क्रमश: 216000 का 31 मार्च 2020 की स्तिथि पर असमाधानिक मूल्य का अन्तर पाया गया ।
14. यह बैंक कि परंपरा है कि सहकारी समिति के सदस्यों को बैंक द्वारा ब्याज सब्सिडी के लिए 2% के योगदान ब्याज सहायता अपेक्स बैंक / नाबार्ड से एडवांस मिलने पर बुक किया जाता है, न कि वर्ष के अंतिम दिन। चालू वर्ष 2019-20 के लिए प्रावधान लेखांकन के उपार्जन (Accural) आधार पर राशि 1,40,00,000 /- रुपये बुक किया गया है, जबकि सही राशि 1,78,59,424/- रुपये है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक का लाभ 38,59,424/- से ज्यादा आ रहा है।
15. अंकेक्षण के दौरान पाया गया की की कुछ खातो (जैसे कि सेविंग्स बैंक no frills एकाउंट्स, सेविंग्स non operative account एवं सेविंग्स pension खातो, अतिदेय खातो में, अतिदेय FDR, अतिदेय RD एवं अतिदेय DDR खातो मे, जो कि ब्रांच लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के Annexure – F मे उल्लेखित है कुल 1509 खाते) में अभियन्त्रिक तंत्र (CBS system) ब्याज की दर शून्य होने के कारण ब्याज की गणना नहीं कर रहा हैं जिसके कारण बैंक का शुद्ध लाभ ज्यादा दिखाई दे रहा है | बैंक द्वारा प्रदान की गयी जानकारी की कमी के कारण हम ब्याज की राशी निर्धारित नहीं कर पाने में असमर्थ हैं | अंकेक्षण के दौरान यह बताया गया कि उक्त खाते 10 वर्षों से पुराने भी हो सकते है अतः उनकी पर्याप्त गणना करके आरबीआई के निर्देशों ने अनुसार डेफ अकाउंट मे हस्तांतरित करना चाहिए ।
16. अंकेक्षण के दौरान हमने पाया कि बैंक के अभिकलित्रतंत्र में कुछ खातो (जो कि ब्रांच लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के Annexure – E मे उल्लेखित है कुल 36 खाते) में ब्याज की दर शून्य दर्ज की गयी हैं तथा कुछ खातो में दण्ड ब्याज नहीं वसूला गया हैं, कुछ खातो पर NPA की गलत मार्किंग के कारण ब्याज नहीं वसूला गया हैं, कुछ DMR खातो पर ब्याज नहीं वसूला गया हैं, कुछ खातो पर NPA की वसूली को सीधे मूलधन में से कम कर दिया हैं | इन सभी विसंगतियों से बैंक को आय की हानि हुई | बैंक द्वारा प्रदान की गयी जानकारी की कमी के कारण हम ब्याज की राशी निर्धारित नहीं कर पाने में असमर्थ हैं |
17. बैंक द्वारा ग्रेच्युटी की राशि का प्रावधान 31, मार्च 2020 की स्तिथि पर नहीं किया गया अतः इसके कारण तुलन पत्र तथा लाभ हानि पत्रक मे होने वाले प्रभावों की गणना मे भी असमर्थ है।
18. लेखा परीक्षक के रूप में अन्य मामले जो प्रबंधन के नोटिस में लाये जाने है उनका विवरण एलएफएआर / परिशिष्ट - अ में दिया गया है।

अर्हता प्राप्त (क्वालीफाइड) अभिमत (Qualified Opinion)

बैंक की लेखा पुस्तको मे यथा प्रदर्शित एवं हमारी सर्वोतम जानकारी के अनुसार तथा हमे दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा उपरोक्त पैरा "**अर्हता प्राप्त (क्वालीफाइड) अभिमत के लिए आधार** " में वर्णित विषयो के (अनुच्छेद अंक 5 से लेकर 18 तक में) अतिरिक्त, हमारे अभिमत मे हम रिपोर्ट करते है कि -

i. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर आक्षेप,सुझाव एवं टिप्पणियों के साथ पठित तुलनपत्र एक संपूर्ण एवं निष्पक्ष तुलन पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण समाहित है, को समुचित तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत मे सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिध्दांतो, वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जहाँ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है) कि धारा 31 एवं म प्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 (1) तथा उसके नियमो के अनुरूप दि. 31 मार्च, 2020 को समिती के कियाकलापों का सही एंव निष्पक्ष चित्रण प्रदर्शित किया जा सके।
ii. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर आक्षेप सुझाव एवं टिप्पणियों के साथ पठित लाभ हानि खाता भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत वित्तीय विवरण बैंकिंग विनिमय अधिनियम, 1949 (जहाँ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है) एवं म.प्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 तथा उसके नियमो के अनुरूप उस वर्ष कवर किये गए लेखो में लाभ की सही स्थिती दर्शाता है।

अन्य वैधानिक एवं विनियामक अपेक्षा

1. तुलन पत्र तथा लाभ हानि पत्रक वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जहाँ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है) म प्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 तथा उसके नियमों के अनुसार बनाये गये है।
2. उपयुक्त पैरा 1 से 8 में निर्दोष्ट लेखा परीक्षा सीमाओं के अधीन, वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जहाँ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है) एव म प्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 तथा उनमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते है कि
   i. हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण को प्राप्त किया है, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे तथा वे संतोषप्रद पाएँ गए।
   ii. बैंक के लेनदेन, जो कि हमारी जानकारी में आए, समिति के अधिकारों के अंतर्गत पाए गए।
   iii. बैंक के कार्यालय से प्राप्त विवरणी लेखा-परीक्षण के उद्देश्य के लिए उचित पाई गई है।
   iv. इस रिपोर्ट के साथ दिए गए तुलन पत्र तथा लाभ-हानि पत्रक बही खातों के साथ समझौते में है।
   v. हमारे द्वारा की गई बैंक की पुस्तकों की परीक्षा के आधार पर हमारी राय के अनुसार, समिति द्वारा कानूनी रूप से उचित बहीखाते रखे गये हैं।

वास्ते मे. दस्सानी एण्ड एसोसिएट्स,
(सनदी लेखाकार)
(फर्म पंजीयन क्रमांक : 009096C)

सीए चर्चिल जैन
(भागीदार)
सदस्यता क्र. – 409458
स्थान : इंदौर
दिनांक: ________

श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल

स्थिति विवरण पत्रक वर्ष 2019–20

(In the THIRD SCHEDULE as per Section 29 of B.R.Act,1949)

राशि 31.03.2019			पूंजी एवं देनदारियां		राशि	राशि 31.03.2020
			अंश पूजी			4714500.00
	(i)		अधिकृत अंशपूंजी	0.00		
			5,00,000 प्रत्येक के लिये 100/– रूपये			
	(ii)		प्रदत्त अंशपूंजी			
			46490 प्रत्येक के लिये 100/– रूपये		4714500.00	
4663500.00	(a)		व्यक्तिगत	4714500.00		
	2		रक्षित एवं अन्य निधियां			58951480.24
40625972.00	(i)		रक्षित निधि		42019772.24	
14036080.00	(ii)		भवन निधि		14381080.00	
0.00	(iii)		विनियोग ह्रास निधि आई डी आर			
	3		अन्य निधियां		2550628.00	
25000.00		(a)	मानक संपत्तियों पर प्रावधान	87000.00		
0.00		(b)	निवेश पर उतार चडाव पर प्रावधान IFR	0.00		
0.00		(c)	वेड डेबट्स एण्ड डाउटफुल रिजर्व	0.00		
463628.00		(d)	रिजर्व फोर डिफरेंश इन चालू खाते	463628.00		
2000000.00		(e)	आकस्मिक देयताऐं प्रावधान कान्टीजेंट	2000000.00		
	4		अन्य जमा खातें			
	(ii)		चालू खातें		3159871.97	3159871.97
4307154.79		(a)	व्यक्तिगत जमा खातें	3129856.18		
34311.79		(b)	सोसायटीयों के जमा खातें	30015.79		
	(iii)		बचत खातें		5225234.77	5225234.77
4854067.40		(a)	व्यक्तिगत जमा खातें	4087462.68		
2183291.49		(b)	सोसायटीयों के जमा खातें	1137772.09		
	(iv)		कॉल सूचना पर पैसा			
		(a)	व्यक्तिगत जमा खातें			
	(v)		आवर्ती जमा खातें		102447.00	102447.00
159090.00		(a)	व्यक्तिगत जमा खातें	102447.00		
	(vi)		दैनिक जमा खातें		1000.00	1000.00
1000.00		(a)	व्यक्तिगत जमा खातें	1000.00		
	5		पार्टनरशिप फन्ड अकाउन्टस			
0.00	(a)		पार्टनरशिप फन्ड		0.00	0.00
	6		अन्य सावधी जमा खातें			44032765.00
	(i)	(A)	सावधी जमा खातें		2533742.00	
1524050.00		(a)	व्यक्तिगत सावधी जमा खातें	2533742.00		
0.00		(b)	सोसायटीयों के सावधी जमा खातें	0.00		
0.00		(c)	सीनियर सिटीजन सावधी जमा खातें	0.00		
		(B)	डबल डिपोजिट सावधी जमा खातें		41499023.00	
21982467.00		(a)	व्यक्तिगत डबल डिपोजिट जमा खातें	40926087.00		
103151.00		(d)	सोसायटीयों डबल डिपोजिट जमा खात	111381.00		

राशि 31.03.2019			संम्पत्ति एवं लेनदारियाँ		राशि 31.03.2020	राशि 31.03.2020
311544.00	1		हस्त रोकड		788090.00	788090.00
	2		विनियोग अन्य बैंको में			79913412.69
	(A)		चालू खातें अन्य बैंकों में		13544627.69	
1031433.17		(i)	भोपाल को–ऑपरेटिव सेन्ट्ल बैंक एम.पी. नगर शाखा	1264000.17		
247131.62		(ii)	भारतीय रिजर्व बैंक मुख्य शाखा	242131.62		
434978.03		(iii)	एम.पी.आर.एस.बी. बैंक एमएस खाता	434978.03		
10000.00		(iv)	एम.पी.आर.एस.बी. बैंक चालू खाता	10000.00		
21603.09		(v)	आई.डी.बी.आई. बैंक टी. टी. नगर भोपाल	38121.09		
143602.86		(Vii)	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एम.पी. नगर शाखा	1517004.67		
7213.00		(Viii)	दि श्यामराव विटठल को–ऑपरेटिव लोन खाता	4760.00		
4530985.59		(ix)	येस बैंक लिमिटेड एम.पी. नगर शाखा	190069.74		
1561469.59		(x)	दि श्यामराव विटठल को–ऑपरेटिव बैंक खाता	5772151.37		
		(xi)	येस बैंक लिमिटेड एम.पी. नगर शाखा आर टी जी एस खाता	1349862.00		
		(xii)	एच. डी. एफ. सी. बैंक	2721549.00		
0.00	(B)		बचत खातें अन्य बैंकों में		0.00	
	(C)		सावधी जमा खातें अन्य बैंकों में		66368785.00	
653792.00		(i)	एम.पी.आर.एस.बी. बैंक एम.पी. नगर शाखा	653792.00		
1500000.00		(ii)	भोपाल को–ऑपरेटिव सेन्ट्लबैंक एम.पी. नगर शाखा	4000000.00		
20500000.00		(iii)	दि श्यामराव विटठल को–ऑपरेटिव बैंक खाता	14000000.00		
14000000.00		(iv)	येस बैंक लिमिटेड एम.पी. नगर शाखा	4000000.00		
1000000.00		(v)	आई डी. बी. बैंक न्यू मार्केट शाखा	11974495.00		
8500000.00		(vi)	एयू स्माल फायनेंश बैंक लिमिटेड एम.पी. नगर शाखा	5976215.00		
3000000.00		(vii)	जना स्माल फायनेंश बैंक शाखा	8264283.00		
		(ix)	यूनियन बैंक आफ इंडिया एम.पी. नगर शाखा	4000000.00		
		(x)	एच डी एफ सी बैंक खाताृ	5000000.00		
		(xi)	इसाफ स्माल फायनेंश बैंक शाखा	4000000.00		

राशि 31.03.2019			पूंजी एवं देनदारियां		राशि	राशि 31.03.2020
295891.00		(c)	सीनियर सिटीजन डबल डिपो. जिट जमा खात	461555.00		
	(C)		परिपक्व जमा खातें		0.00	
0.00		(a)	व्यक्तिगत परिपक्व सावधी जमा खातें	0.00		
0.00		(b)	डबल डिपोजिट परिपक्व सावधी जमा खातें	0.00		
0.00		(c)	डबल डिपोजिट सोसायटी परिपक्व सावधी जमा खातें	0.00		
0.00		(d)	परिपक्व आवर्ती जमा खातें	0.00		
	6		लोन खातें			0.00
		(i)	भारतीय रिजर्व बैंक भोपाल			
		(ii)	भोपाल को ऑपरेटिव सेन्ट्ल बैंक भोपाल			
0.00			एम. पी. नगर शाखा भोपाल		0.00	
	7		वसूली योग्य बिल			
0.00	(i)		जावक बिल संग्रह ओबीसी कांट्रा इन्ट्री		0.00	0.00
0.00	(II)		बैंक गांरटी इश्यू कांट्रा इन्ट्री		0.00	
0.00	8		शाखा समायोजन इन्ट्री		0.00	0.00
0.00	9		अतिदेय ब्याज रिजर्व ओवर डयू		0.00	0.00
	10		अमानतों पर देय ब्याज			7592.02
50669.00		(i)	सावधी जमा खातों पर देय ब्याज		5308.02	
0.00		(ii)	आवर्ती जमा खातों पर देय ब्याज		2284.00	
	11		अन्य दायित्व			868571.09
0.00		(i)	सहकारी संघ चंदा देय राशि		0.00	
99198.00		(ii)	स्टेल बैंकर्स चेक की राशि		0.00	
0.00		(iii)	स्टेल डिमांड ड्रॉफट की राशि		0.00	
38505.00		(iv)	अंकेक्षण शुल्क की देय राशि		35000.00	
178090.91		(v)	पेय आर्डर इश्यू		61502.69	
0.00		(vi)	स्टेल चेकों की राशि		0.00	
748170.00		(vii)	डी.डी. पेयबल आई डी.बी.आई खाता		0.00	
0.00		(viii)	आयकर जमा खाता		0.00	
338800.00		(ix)	ऐरियर्स ऑफ रेंट		382800.00	
34097.00		(x)	टी. डी. एस. पेयबल		83497.00	
0.00		(x)	एस जी.एस.टी.		3516.68	
0.00		(x)	सी. जी.एस.टी.		3454.72	
0.00		(x)	बिल पंयवल मार्च		298800.00	
	12		लाभ – हानि खाता			**1570203.88**
			बैंक का शुद्व लाभ			
1738800.24			बैंक का शुद्व लाभ लाभ–हानि पत्रक से		1570203.88	
	13		जमा शेष केडिड बैलेंस अन्य			1542391.00
0.00		(ii)	केडिड बैलेंस इन लोन खाता		0.00	
0.00		(ii)	केडिड बैलेंस इन डी.डी अगेन्स्ट ओबीसी		0.00	
0.00		(ii)	आर बी आई डीफ अकाउंट पेयवल राशि कान्टा		1542391.00	
100484984.62			योग			**120176056.97**

सही/– अध्यक्ष   सही/– अध्यक्ष   सही/– संचालक   सही/– संचालक   सही/– शाखा प्रबंधक   सही/– अंकेक्षक अधिकारी

			(xii)	फिनकेयर स्माल फायनेंश बैंक शाखा	4500000.00		
	3			MONEY AT CALL AND SHORT			
				NOTICE INVESTMENTS :			19377950.00
			(i)	शासकीय पगतिभूतियों में निवेश			
29165850.00				बुक मूल्य पर निवेश रूपये राशि		19377850.00	
0.00			(ii)	अन्य ट्रस्टी प्रतिभुतियों पर निवेश		0.00	
			(iii)	सहकारी बैंको में जमा अंश			
100.00				नियम पांच के नीचे		100.00	
	5			ऋण तथा अग्रिम			15172081.50
		(I)		अल्पकालीन ऋण		10000625.50	
303214.00			(i)	कन्ज्युमर डयूरेबल लोन	336233.00		
123179.00			(ii)	पर्सनल लोन की राशि	73807.00		
45847.00			(iii)	एल. आई. सी. एवं एन.एस.सी. के विरूद्व टर्म लोन	17898.00		
2590482.50			(iv)	कैश केडिड मोर्टगेज ऋण	1790287.50		
148859.00			(v)	कैश केडिट सावधी जमा के विरूद्व लोन की राशि	7481755.50		
0.00			(v)	कैश केडिड एल. आई. सी. के विरूद्व ऋण	300644.50		
		(ii)		मध्य एवं दीर्घ अवधि ऋण		5171456.00	
2279568.00			(i)	भवन/ ग्रह ऋण की राशि	2150308.00		
2655752.00			(ii)	वाहन ऋण	2970635.00		
0.00			(iii)	शिक्षा ऋण	50513.00		
0.00			(iv)	व्यवसाय के विरूद्व ऋण	0.00		
	6			प्राप्ति योग्य ब्याज की राशि			3137251.00
5359240.00			(i)	प्राप्ति योग्य ब्याज की राशि अमानतों पर		3137251.00	
0.00			(ii)	प्राप्ति योग्य ब्याज की राशि लोन खातों पर		0.00	
	7			वसूली योग्य बिल संग्रह की राशि कांट्रा इन्ट्री			0.00
0.00			(i)	वसूली योग्य बिल संग्रह की राशि कांट्रा इन्ट्री		0.00	
0.00			(ii)	बैंक गांरटी इश्यू राशि कांट्रा इन्ट्री		0.00	
166786.92	8			शाखा समायोजन खाता		0.00	0.00
	9			फर्नीचर एवं फिक्चर अवक्षयण काटकर			136331.17
102556.02			(i)	फर्नीचर एवं फिक्चर		90340.64	
16664.80			(ii)	ऐअर कन्डीशनर		14165.08	
0.00			(iii)	कम्प्यूटर हार्डवेयर		31825.45	
	11			अन्य लेनदारियां			108549.61
5002.43			(i)	एडवांश इन टेलिफोन		6279.43	
7016.00			(ii)	पुस्तकालय		7016.00	
55006.00			(ii)	स्टेशनरी स्टॉक खाता		55006.00	
3500.00			(iv)	एडवांश जमा विजली के लिये		3500.00	
1600.00			(v)	एडवांश जमा गैस कनेक्शन के लिये		1600.00	
1008.00			(vi)	कृषि कल्याण शेष रकम		0.00	
0.00			(vii)	एस. जी. एस. टी. पेड राशि		3433.13	
0.00			(ix)	सी जी. एस. टी. पेड राशि		3460.13	
0.00			(x)	आई. जी. एस. टी. पेड राशि		13500.00	
0.00			(xi)	जी. एस. टी. पेड राशि		593.92	
0.00			(xii)	जी. एस. टी. पेयवल राशि		14161.00	
0.00	12			अन्य बैंकिग अस्तियां		0.00	0.00
0.00	13			लाभ – हानि खाता		0.00	0.00
	14			आकस्मिक देयताऐं			
0.00			(i)	आर बी आई डीफ राशि रिसियेबल कान्टा राशि		1542391.00	1542391.00
100484984.62				कुल योग			**120176056.97**

श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल

134 जोन 1 एम. पी. नगर भोपाल

लाभ – हानि पत्रक वर्ष 2019–20

राशि 31.03.2019	व्यय का विवरण	नामे	जमा	राशि 31.03.2020	
	01. ब्याज भुगतान एवं भुगतान योग्य				2361409.02
1518852.00	कुल जमा पर ब्याज भुगतान व भुगतान योग्य	2543601.00	182191.98	2361409.02	
899783.00	**02. वेतन एवं भत्ते**	1008437.00	6798.00	1001639.00	1001639.00
0.00	**03. संचालको का भत्ता व्यय**		0.00	0.00	0.00
	04. कर ,किराया,बीमा व्यय				1832618.00
663376.00	भवन किराया 206376ण338000	544376.00	0.00	544376.00	
0.00	सर्विस टेक्स्	0.00	0.00	0.00	
39295.00	बीमा व्यय	66041.00	0.00	66041.00	
121391.00	बिजली व्यय	158788.00	15257.00	143531.00	
843500.00	आयकर व्यय	1078670.00	0.00	1078670.00	
0.00	विविध व्यय जमा	0.00	0.00	0.00	
33050.00	**05.कानूनी व्यय**	16500.00	0.00	16500.00	16500.00
	06. डाक, तार, एवं दूरभाष व्यय				96883.62
21820.00	डाक एवं तार व्यय	64173.00	0.00	64173.00	
19487.22	दूरभाष व्यय	46017.62	13307.00	32710.62	
88000.00	**07. अंकेक्षण शुल्क**	72745.00	0.00	72745.00	72745.00
	08. ह्रास अवक्षयण व्यय				
67359.79	**सम्पत्तियों पर ह्रास**	25220.15	0.00	25220.15	25220.15
	09. लेखन सामग्री एवं मुद्रण खर्च				613210.00
27487.00	प्रिंटिंग एवं मुद्रण व्यय	32910.00	0.00	32910.00	
553376.00	विज्ञापन व्यय	580300.00	0.00	580300.00	
	10. अन्य व्यय				646439.89
19756.00	विविध व्यय/मिसलेनियस चार्जेस	73883.00	0.00	73883.00	
27886.00	पानी व्यय	19214.00	1204.00	18010.00	
40338.00	सुरक्षा व्यय	44308.00	0.00	44308.00	
101836.00	एडमिनिस्ट्रटिव व्यय	336456.84	68050.84	268406.00	
21875.00	वाहन किराया व्यय	25051.00	0.00	25051.00	
0.00	ट्रवलिग चार्जेस	0.00	0.00	0.00	
12496.20	बैंक चार्जेस व्यय	14261.57	1489.24	12772.33	
0.00	अखवार व्यय	2846.00	0.00	2846.00	
2993.66	सुधार एवं मरम्मत व्यय	28546.60	5500.00	23046.60	
0.00	क्लीयरिंग हाउस चार्जेस	0.00	0.00	0.00	
0.00	इनलिजीयेवल आइ. टी. सी .	178116.96	0.00	178116.96	
	11. निधियां एवं प्रावधान बनायें				
0.00	भवन निधि	0.00	0.00	0.00	62000.00
0.00	डूबत एवं संदिग्ध ऋण कोष	0.00	0.00	0.00	
20000.00	मानक अस्तियों पर प्रावधान	62000.00	0.00	62000.00	
	12. लाभ– हानि खाता				1570203.88
1738800.24	वर्ष 2018–19 का लाभ	0.00	0.00	0.00	
	वर्ष 2018–19 का लाभ	1570203.88		1570203.88	
6882758.11	**योग**	**8592666.62**	**293798.06**	**8298868.56**	**8298868.56**

वास्ते :– श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल

सही/– अध्यक्ष | सही/– अध्यक्ष | सही/– संचालक | सही/– संचालक | सही/– शाखा प्रबंधक | सही/– अंकेक्षक अधिकारी

राशि 31.03.2019	आय का विवरण	जमा	नामे	राशि 31.03.2020	
	01. अर्जित आय				8013720.00
512415.00	अर्जित ब्याज ऋण खातों पर	1049783.00	0.00	1049783.00	
6043856.00	अर्जित ब्याज निवेश खातों पर	21054761.00	14090824.00	6963937.00	
	02. प्राप्त कमीशन एवं एक्सचेंज				20094.54
20787.42	कमीशन प्राप्त	21796.50	3324.96	18471.54	
1018.00	सर्विस चार्ज प्राप्त	1623.00	0.00	1623.00	
0.00	**03. प्राप्त आय नोन बैंकिंग संपत्ति से**				
	अन्य संपत्ति से आय	0.00	0.00	0.00	0.00
	04. अन्य आय प्राप्त				265054.02
99572.06	विविध आय	91601.59	0.00	91601.59	
0.00	अपैक्स बैकं चंदा	0.00	0.00	0.00	
20315.23	त्रैमासिक चार्जेस आय	2082.05	0.00	2082.05	
184794.40	जनरल चार्जेस प्राप्त	182913.00	11542.62	171370.38	
0.00	अन्य आय	0.00	0.00	0.00	
6882758.11	**योग**	**22404560.14**	**14105691.58**	**8298868.56**	**8298868.56**

सही/– अध्यक्ष | सही/– अध्यक्ष | सही/– संचालक | सही/– संचालक | सही/– शाखा प्रबंधक | सही/– अंकेक्षक अधिकारी

श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

अंकेक्षक प्रमाण पत्र

मैं, मेसर्स राजू प्रेमनारायण अग्रवाल एण्ड कम्पनी (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करता हूँ कि मैने श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल, पंजीयन क्रमांक सं.पं. 06/99 दिनांक 06/01/1999 का, अलौच्य वर्ष 2019–20 का अंकेक्षण पंजीयक, सहकारी सोसायटीज, मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित निर्देशित प्रणाली से पूर्ण किया गया है। बैंक का पंजीयन प्रमाण पत्र विधिवत सही व नियमानुसार होकर बैंक द्वारा सुरक्षित रखा गया है।

मैंने श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल का दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष का स्थिति विवरण पत्रक तथा लाभ–हानि पत्रक का परीक्षण संबंधित लेखाओं से किया।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि :–

01. मेरे मत से बैंक का व्यवहार साधारणतः सही व ईमानदारी से बैंक के उपनियमों, सहकारी विधान की प्रचलित धाराओं, उसके अंतर्गत बनाए गये नियम, पंजीयक द्वारा समय–समय पर प्रसारित परिपत्रों एवं बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 की धाराएं; जो कि सहकारी बैंकों के लिये लागू होती है के अनुसार हैं, व पाई गई त्रुटियों का उल्लेख अंकेक्षण टीप में है।
02. बैंक का स्थिति विवरण पत्रक पूर्ण रूप से स्पष्ट है। इसमें सभी आवश्यक जानकारियॉं जो कि बैंक के व्यवहार और स्थिति को दर्शाती है, का समावेश भी किया गया है। मुझे जो जानकारी बैंक स्थिति के संबंध में बतलाई गई तथा जो जानकारी बैंक के लेखा खातों में दर्शाई गई है वह सब इसमें परिलक्षित होती है।
03. मुझे अंकेक्षण के दौरान किसी भी जानकारी या स्पष्टीकरण की जब भी आवश्यकता पड़ी समय–समय पर बैंक से प्राप्त हुई तथा मेरे संतोष के अनुसार हैं।
04. बैंक के व्यवहार जो भी मेरी जानकारी में आए सभी बैंक की कार्य सीमा में किये गये हैं।
05. बैंक का लाभ हानि पत्रक प्रस्तुत टीप के अधीन पाये गये आक्षेपों के तारतम्य में सही विवरण प्रस्तुत करता है।
06. मेरे मत से बैंक के स्थिति विवरण पत्रक व लाभ–हानि पत्रक प्रस्तुत टीप में नियमानुसार बनाए गए हैं।
07. बैंक में हिसाब व खाते नियमों, उपनियमों की आवश्यकतानुसार रखे गये हैं। ऐसे सभी रखे गये रजिस्टर व खाते बहियों, जिनके आध ाार पर पत्रक तैयार किये गये हैं, की सूची बैंक में उपलब्ध है।
08. अतः मैं बैंक को पंजीयक, सहकारी सोसायटीज, मध्य प्रदेश द्वारा प्रसारित निर्देशों में दी गई अंकेक्षण वर्गीकरण कसौटी पत्र के मानदण्ड के आधार पर मूल्यांकन करके वर्ष 2019–20 के अंकेक्षण में बैंक को '' ब '' वर्ग में वर्गीकृत करता हूँ।

सही/–

भोपाल — मेसर्स राजू प्रेमनारायण अग्रवाल एण्ड कंपनी

दिनांक — सनदी लेखापाल में. नं. 078460

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा म0प्र0

दूसरी तालिका बैंकिंग एग्लेशन एक्ट 1949 धारा 29 के अन्तर्गत प्रारूप ''स'' 31.03.2020 राशि

31.03.2019 (राशि रू.)	विवरण पूँजी एवं दायित्व	राशि रू.	31.03.2020 (राशि रू.)
50,00,00,000.00	**1. अंश पूँजी अधिकृत**	50,00,00,000.00	
	''अ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1000.00 प्रति अंश		
	''ब'' श्रेणी के अंशों में रूपयें 100.00 प्रति अंश		
	''स'' श्रेणी के अंशों में रूपये 50.00 प्रति अंश		
	''द'' श्रेणी के अंशों में रूपये 10.00 प्रति अंश		
	''इ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 5.00 प्रति अंश		
	''फ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1.00 प्रति अंश		
42,94,18,903.00	**''अ'' प्रदत्त अंशपूजी**	45,67,40,903.00	45,67,40,903.00
10,23,99,990.00	''अ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1000.00 प्रति अंश	10,23,99,990.00	
32,69,74,870.00	''ब'' श्रेणी के अंशों में रूपये 100.00 प्रति अंश	35,42,96,870.00	
	''स'' श्रेणी के अंशों में रूपये 50.00 प्रति अंश		
44,043.00	''द'' श्रेणी के अंशों में रूपये 10.00 प्रति अंश	44,043.00	
	''इ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 5.00 प्रति अंश		
	''फ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1.00 प्रति अंश		
42,94,18,903.00	**ब अभिदत्त अंशपूंजी**	45,67,40,903.00	45,67,40,903.00
10,23,99,990.00	''अ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1000.00 प्रति अंश	10,23,99,990.00	
32,69,74,870.00	''ब'' श्रेणी के अंशों में रूपये 100.00 प्रति अंश	35,42,96,870.00	
-	''स'' श्रेणी के अंशों में रूपये 50.00 प्रति अंश	-	
44,043.00	''द'' श्रेणी के अंशों में रूपये 10.00 प्रति अंश	44,043.00	
	''इ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 5.00 प्रति अंश		
	''फ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1.00 प्रति अंश		
42,94,18,903.00	**स उक्त में से धारित अंशपूजी**	45,67,40,903.00	45,67,40,903.00
32,69,74,870.00	''अ'' सहकारी संस्थाओं द्वारा	35,42,96,870.00	
10,23,99,990.00	''ब'' राज्य शासन द्वारा	10,23,99,990.00	
-	''स'' एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	-	
44,043.00	''द'' नाम मात्र	44,043.00	
40,59,23,205.38	**2. रक्षित कोष एवं अन्य निधियां**	44,75,62,887.88	44,75,62,887.88
4,82,27,745.25	अ) वैधानिक कोष	5,91,20,948.25	
1,57,31,669.25	ब) भवन निधि	2,07,31,669.25	
3,83,79,001.00	स) कृषि साख स्थायीकरण निधि	4,67,11,520.00	
3,11,147.00	द) लाभांश समानीकरण निधि	3,11,147.00	
26,84,713.17	इ) विशिष्ट संदिग्ध एवं डूबंत निधि	26,84,713.17	
20,63,884.30	फ) संदिग्ध एवं डूबंत ऋणार्थ निधि	20,63,884.30	
6,803.00	ज) विनियोग अवक्षयण निधि	6,803.00	
1,16,26,051.00	ह) पुनः पूंजीकरण खाता (वैधनाथन)	1,16,26,051.00	
	अन्य निधियां		
65,000.00	1. भंडार कोष	65,000.00	
3,630.00	2. चिकित्सा सहायता कोष	3,630.00	
35,85,363.57	3. जीप कोष	35,85,363.57	
2,850.00	4. अंश प्राप्ति कोष	2,850.00	
3,28,813.81	5. कर्मचारी उपदान कोष	23,28,813.81	
23,29,800.00	6. आम लाभ कोष	23,29,800.00	
5,87,248.28	7. जोखिम कोष	5,87,248.28	
30,000.00	8. लाभांश कोष	30,000.00	
4,03,499.00	9. धर्मादा कोष	4,03,499.00	
4,480.00	10. संचालक प्रोत्साहन कोष	4,480.00	
1,304.25	11. वसूली उपहार कोष	1,304.25	
40,000.00	12. कर्मचारी मोटरसाईकल	40,000.00	
1,69,66,806.00	13. अंश विमोचन निधि	2,56,81,368.00	
1,00,00,000.00	14. संगणक कोष	1,40,00,000.00	
79,98,933.00	15. सहकारी विकास निधि	79,98,933.00	
44,61,256.00	16. प्रशिक्षण निधि	66,39,896.00	
91,20,344.00	17. एक्स ग्रेसिया / कर्मचारी लाभांश	87,87,079.00	
2,30,00,000.00	18. सीबीएस अनुसार संचित जमा राशि	2,30,00,000.00	
32,22,385.50	19. बचत बैंक निधि	36,40,681.00	
19,90,13,000.00	20. पुनर्मुल्यांकन निधि	19,90,13,000.00	
	21. अतिदेय ब्याज प्राप्त		
52,00,000.00	22. प्रोद्योगिकी अंगीकरण निधि	52,00,000.00	
5,27,478.00	23. सहकारी अनुसंधान एवं विकास निधि	9,63,206.00	
	24. अन्य अस्तियां प्रावधान	-	
	25. ऋण मुक्ति विलम्बित खाता प्रावधान		
	26. कैडर फण्ड प्रावधान		
	27. मानक अस्तियां हेतु प्रावधान	-	
	28. नान बैकिंग सम्पत्तियां हेतु प्रावधान		
	29. अन्तर शाखा समायोजन हेतु प्रावधान		
	30. अप्राप्त ब्याज हेतु प्रावधान		
	31. कोर बैकिंग सेवाएँ हेतु प्रावधान		
	3. राज्य भागीदारी मूल सहायक कोष	-	-
6,51,45,43,902.15	**4. अमानते एवं अन्य खाते**	6,38,76,76,889.15	6,38,76,76,889.15
	''अ'' मुद्दति अमानते खाता		
4,81,10,684.00	1. रिजर्व फण्ड समिति अमानत	5,17,18,987.00	
2,47,48,506.00	2. विशेष डूबन्त निधि अमानत	2,66,04,648.00	
	3. रिवाल्विंग फण्ड अमानत		
89,21,371.00	4. कर्मचारी जमानत खाता	92,28,425.00	
2,29,64,58,583.46	5. मुद्दति अमानत खाता व्यक्तिगत	2,59,74,45,146.60	
18,07,31,806.25	6. मुद्दति अमानत संस्थाएं	19,72,31,985.25	
51,49,89,776.23	7. मुद्दति अमानत समितियां	55,04,06,444.01	
	8. मुद्दति अमानत अन्य		
45,67,146.69	9. मुद्दति अमानत मैच्यौर्ड बट नाट पेड	45,27,326.69	
2,93,68,253.95	10. आर्वतक अमानत व्यक्तिगत	3,32,05,609.55	
	11. आर्वतक अमानत संस्थाऐ / अन्य	18,000.00	

31.03.2019 (राशि रू.)	विवरण सम्पत्तियां लेनदारी	राशि रू.	31.03.2020 (राशि रू.)
10,82,25,972.88	**1. रोकड**	11,47,08,894.29	**11,47,08,894.29**
96,66,60,531.46	**2. बैंक बैलेन्स**	**44,65,57,714.36**	**44,65,57,714.36**
5,55,59,801.54	1. भारतीय स्टेट बैंक छिन्दवाड़ा	2,63,60,836.86	
23,419.02	2. भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली	23,419.02	
12,74,704.34	3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,28,649.75	
45,62,37,791.67	4. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	19,76,98,110.26	
77,196.77	5. महाराष्ट्रा को–आपरेटिव बैंक मुम्बई	77,196.77	
1,74,907.48	6. महाराष्ट्रा को–आपरेटिव बैंक नागपुर	1,74,907.48	
2,523.96	7. बेस्ट बेंगोल को–आपरेटिव बैंक कल. कत्ता	2,523.96	
14,27,08,019.62	8. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक छिन्दवाड़ा	13,80,46,440.24	
8,01,63,437.61	9. आई.डी.बी.आई. बैंक छिन्दवाड़ा	92,66,629.11	
1,23,44,870.78	10. ऐक्सेस बैंक छिन्दवाड़ा	1,86,47,311.45	
7,84,02,064.80	11. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. जबलपुर	2,94,61,036.40	
6,61,82,921.91	12. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल (एम.ए.एस.)	32,07,941.87	
-	13. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल	-	
6,61,408.55	14. बैंक ऑफ महाराष्ट्रा	14,75,513.75	
26,69,906.96	15. एच.डी.एफ.सी.बैंक छिन्दवाड़ा	9,54,854.66	
6,18,93,133.50	16. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (आर.टी.जी.एस.)	1,27,47,919.83	
10,00,000.00	17. आई.सी.आई.सी.आई. बैक छि. (आई एम पी एस)	10,00,000.00	
62,84,422.95	18. आई.सी.आई.सी.आई.बैक छि. (ए टी एम)	62,84,422.95	
10,00,000.00	19. इंडसइंड बैंक	10,00,000.00	
34,14,31,446.00	**3. अन्य बैंकों में**	35,26,33,221.00	**35,26,33,221.00**
33,22,10,103.00	1. मृद्दति अमानत शीर्ष बैंक	34,32,87,081.00	
-	2. रक्षित निधि शीर्ष बैंक	-	
75,00,000.00	3. मुद्दति अमानत भारतीय स्टेट बैंक छिन्दवाड़ा	75,00,000.00	
-	4. मुद्दति अमानत आईडीबीआई बैंक	-	
17,21,343.00	5. मुद्दति अमानत अन्य बैंक	18,46,140.00	
15,00,00,000.00	**4. बैंको में मॉग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि**	-	-
1,59,14,22,500.00	**5. विनियोग**	**1,60,84,22,500.00**	**1,60,84,22,500.00**
	''अ'' केन्द्रीय/राज्य शासन की प्रतिभूतियॉ		
1,44,33,15,000.00	1. पुस्तक मूल्य	1,44,33,15,000.00	
-	2. बाजार मूल्य	-	
-	3. आयुक्त कीमत	-	
	''ब'' अन्य प्रतिभूतियों में	-	
99,97,500.00	''स'' अन्य सहकारी संस्थाओं	99,97,500.00	
	उक्त पद पांच के अतिरिक्त		
13,75,35,000.00	''द'' म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्या0 भोपाल	15,45,35,000.00	
1,00,000.00	''प'' भारतीय कृषक सह0 समिति नई दिल्ली	1,00,000.00	
4,75,000.00	''फ'' कृषक भारतीय सह0 समिति	4,75,000.00	
-	''भ'' कोर बैकिंग सिक्योंटी राशि	-	
-	''म'' एम.पी.ई.व्ही. सिक्योंटी	-	
7,40,47,66,550.90	**6. ऋण अग्रिम (शेष)**	**7,49,55,50,522.13**	**7,49,55,50,522.13**
6,82,65,45,596.98	''अ'' अल्पकालीन नगद साख एवं अधिविकर्ष	7,23,08,47,741.39	
-	इसमें से जो प्रतिभूतियां है	-	
-	इसमें से व्यक्तियों की ओर से रूपये	-	
-	शासकीय तथा अन्य प्रतिभूतियों से रूपये	-	
-	इसमें से संदिग्ध रूपये इसमें से डूबन्त रू.	-	
50,49,90,711.41	''ब'' मध्यकालीन ऋण	19,25,28,690.84	
7,32,30,242.51	''अ'' दीर्धावधि ऋण	7,21,74,089.90	
	इसमें से जो प्रतिभूतियां है		
	इसमें से व्यक्तियों की ओर से रूपये		
	शासकीय तथा अन्य प्रतिभूतियों से रूपये		
	इसमें से संदिग्ध रूपये इसमें से डूबन्त रूपये		
1,08,66,735.22	**7. प्राप्ति योग्य ब्याज**	1,08,84,352.73	**1,08,84,352.73**

31.03.2019 (राशि रू.)	विवरण पूंजी एवं दायित्व	राशि रू.	31.03.2020 (राशि रू.)
	12. आर्वतक अमानत अन्य		
	13. काल डिपाजिट खाता		
	14. दोहरी अमानत व्यक्तिगत		
	15. दोहरी अमानत संस्थांऐ		
	16. दोहरी अमानत समितियां		
	17. दोहरी अमानत अन्य		
	18. अनक्लेम डिपाजिट खाता		
	''ब'' बचत खाता		
2,82,39,84,528.02	1. व्यक्तिगत खाता	2,42,11,60,289.34	
26,14,73,574.80	2. सहकारी अधिकोष	23,59,27,489.15	
18,24,55,422.85	3. अन्य संस्थाएं	15,76,83,987.45	
	''स'' चालू खाता		
5,21,46,394.30	1. व्यक्तिगत खाता	2,31,98,132.28	
96,35,576.33	2. सहकारी अधिकोष	1,17,47,916.40	
1,92,86,427.92	3. अन्य संस्थाएं	1,86,11,207.75	
5,76,65,850.35	4. सी.सी./ओ.डी. में जमा शेष	4,89,61,294.68	
5,20,63,152.19	**''द'' अन्य अमानत**	5,60,60,199.43	5,60,60,199.43
5,73,798.00	1. जी.एस.एल.आई. क्लेम जबलपुर	4,86,765.00	
17,55,431.00	2. ग्रेच्युटी जमा	6,11,716.00	
4,91,62,978.42	3. अन्य जमा	5,45,61,231.43	
5,70,944.77	4. सुरक्षा जमा और निविदा	4,00,487.00	
2,62,68,06,089.68	**5. ऋण देय (BORROWING)**	3,13,69,18,747.68	3,13,69,18,747.68
88,64,077.98	1. रिजर्व बैंक/ शीर्ष बैंक	50,88,64,077.98	
2,57,61,00,000.00	**''अ'' अल्पकालीन नगद साख एवं अधिविकर्ष**	2,62,42,00,000.00	
	1. इससे जो प्रतिभूतियां है		
	2. ठोस प्रतिभूतियों से रूपये		
	3. अन्य प्रतिभूतियों से रूपये		
	1. अल्पकालीन सामान्य		
	2. अल्पकालीन आदिवासी		
	3. मध्यावधि कनवर्सन		
	4. कैश केडिट गेहूँ खरीद		
	5. कैश केडिट धान खरीद		
	6. मुददति अमानत तारण ऋण शीर्ष बैंक		
	7. मुददति अमानत तारण ऋण केनरा बैंक छिंदवाड़ा		
	8. मुददति अमानत तारण ऋण यूनियन बैंक छिंदवाड़ा		
3,79,87,342.00	**''ब'' मध्यकालीन**	-	
	इससे जो प्रतिभूतियां है		
	अन्य ठोस प्रतिभूतियों से रूपये		
	अन्य प्रतिभूतियों से रूपये		
	1. मध्यकालीन परिवर्तित सामान्य		
	2. मध्यकालीन परिवर्तित आदिवासी		
	''स'' राज्य शासन से		
	1. इससे से जो प्रतिभूतियां है		
	अन्य ठोस प्रतिभूतियों से रूपये		
	अनुमोदित प्रतिभूतियों से रूपये		
	2. लम्बी अवधि का ऋण		
	इसस जो प्रतिभूतियां है		
	अन्य ठोस प्रतिभूतियों से रूपये		
	शासकीय तथा अन्य अनुमोदित		
	प्रतिभूतियों से रूपये		
	3. पैक्स मल्टी सर्विस सेन्टर		
	4. दीर्घकालीन आवास ऋण		
	5. गोदाम ऋण शीर्ष बैंक		
-	5. अन्य स्त्रोतो से ऋण	-	
15,63,586.00	7. आई.सी.डी.पी. छिंदवाड़ा	15,63,586.00	
22,91,083.70	8. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल	22,91,083.70	
	''द'' मध्यकालीन ऋण शासन		
	1. मध्यकालीन शासन		
	2. पहुंचविहीन सहायता शासन से		
	3. कोल माइन्स कमिशनर से		
2,73,721.00	**6. वसूली योग्य बिल प्राप्ति अनुसार**	2,73,721.00	2,73,721.00
-	**7. शाखा समायोजन**	80,86,353.07	80,86,353.07
40,000.00	**8. अतिदेय ब्याज रिजर्व**	40,000.00	40,000.00
33,03,50,249.07	**9. ब्याज देय खाता**	35,05,12,537.49	35,05,12,537.49
74,26,17,485.84	**10. अन्य देनदारियां**	74,03,33,773.53	74,03,33,773.53
	1. विल्स पेयेबुल खाता		
15,28,24,738.28	2. सभी प्रकार (अस्थाई खाता + अन्य जमा)	3,84,00,852.30	
	3. म0प्र0 राज्य सह0 विप0 संघ		
28,178.00	4. अंश आवेदन	28,178.00	
	5. आगमित बिल संकलित खाता		
	6. अवितरित ऋण अनुदान		
(4,000.00)	7. अर्नेस्ट मनी	(4,000.00)	
1,56,112.00	8. एल.आई.सी.–केडिट ;च्डश्रश्रठल्द्ध	2,43,476.00	

31.03.2019 (राशि रू.)	विवरण सम्पत्तियां लेनदारी	राशि रू.	31.03.2020 (राशि रू.)
	इसमें से जो व्यक्तियों की ओर से रूपये		
	इसमें से कालातीत रूपये		
	इसमें से संदिग्ध रूपये		
	इसमें से डूबन्त रूपये इसमें से अवमानक		
	कालातीत कृषक ऋण राहत		
10,02,46,883.75	**8. विनियोगो पर प्राप्ति योग्य ब्याज**	40,92,013.66	40,92,013.66
2,73,521.00	**9. वसूली योग्य विल्स प्राप्ति अनुसार**	2,73,521.00	2,73,521.00
10,75,433.14	**10. शाखा समायोजन**	-	-
20,43,70,522.15	**11. भूमि एवं भवन खाता**	20,43,70,522.15	
2,55,77,785.70	**12. फर्नीचर फिक्चर्स (डेड स्टाक सहित)**	2,63,85,444.44	
19,30,447.00	**13. जीप**	29,13,902.00	
-	**14. लीज ऑन लैण्ड**	-	
(2,19,15,609.72)	संचित अवक्षयण	(2,29,42,716.39)	21,07,27,152.20
31,18,26,201.71	**15. अन्य लेनदारियॉ**	**1,43,13,53,824.57**	1,43,13,53,824.57
-	1. आयकर प्राप्ति योग्य	-	
23,753.93	2. कर्मचारी अग्रिम खाता	23,353.93	
-	3. सण्ड्रीज डेविडर्स	-	
-	4. पुस्तकालय	-	
98,07,284.10	5. कैडर फण्ड खाता	98,07,284.10	
29,12,480.62	6. स्कन्ध प्रपत्र एवं पंजिया	30,52,442.56	
-	7. नगदी कमी शिलक	-	
-	8. कैश इन ट्राजिट	-	
-	9. विविध ऋण खाता	-	
-	10. खादय निगम गेहूँ खरीद	-	
-	11. वेतन कृषक सहायक	-	
-	10. सर्विस टैक्स	-	
-	11. शीर्ष बैंक से प्रापणीय	-	
71,22,999.00	12. राज्य शासन से ऋण मुक्ति की लेय राशि	71,22,999.00	
-	13. इम्प्रेस्ट फार पोस्टेज	-	
-	14. अंशदान बचत बैंक	-	
53,53,880.75	15. एलपीजी–केडिट	74,95,084.33	
-	16. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	-	
-	17. एलआईसी–कमीशन	4,29,835.50	
2,92,093.53	18. टी.डी.एस. प्राप्ति योग्य	1,20,353.19	
-	19. बचत बैंक बीमा गारन्टी प्रापर्णीय	-	
-	20 आयकर अग्रिम भुगतान	-	
-	21. एन.ई.एफ.टी नेफ्ट	5,70,23,532.11	
-	22. एम.पी.ई.व्ही. सिक्योंटी	-	
2,09,597.20	23. बैंक प्रयोजन अग्रिम	2,24,465.20	
22,99,11,928.23	24. अन्य परिसम्पत्तियां (शाखाओं पर धोखाधड़ी और प्रवासन अंतर सहित)	4,12,63,944.91	
-	25. किसान ऋण माफी में प्राप्ति योग्य	1,25,00,38,350.60	
18,700.00	26. ए.टी.एम. क्लियरिंग सस्पेंस	- 3,35,33,690.00	
-	27. ब्याज प्राप्त होना शेष (डीआर बैलेन्स)	7,62,844.00	
3,55,302.76	28. ब्याज देना शेष (डीआर बैलेन्स)	3,55,302.76	
9,672.96	29. धोखाधड़ी खाता	9,672.96	
4,72,807.00	30. प्रविष्टी होना शेष	8,16,632.70	
2,15,60,208.66	31. अपलेखन खाता	2,23,88,056.66	
1,36,24,458.40	32. यूआईडी जमा राशि	34,79,425.59	
34,45,234.84	33. विनियोगो पर देय प्रिमियम राशि	29,17,937.84	
8,70,840.58	34. माईग्रेशन अंतर की राशि	8,30,840.58	
28,84,280.63	35. आईजीएसटी आईटीसी	51,73,241.31	
15,78,343.76	36. सीजीएसटी आईटीसी	24,44,711.87	
15,78,334.76	37. एसजीएसटी आईटीसी	24,44,702.87	
97,94,000.00	38. क्लेम फॉर लोरो (CLAIM FOR LORO)	4,66,62,500.00	
11,19,67,58,921.19	**योग**		**11,67,52,03,715.94**

हस्ता/–
नीरज जैन
प्रभारी (लेखा कक्ष)

हस्ता/–
(ए.के. जैन)
प्रबंधक लेखा

हस्ता/–
के.के.सोनी
महाप्रबंधक

हस्ता/–
(जी. एस. डहेरिया)
प्रशासक एवं उप पंजीयक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा

हस्ता/–
(किर्ती कुमार डागा)
पार्टनर, 402005

(सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार)
हस्ता/–
कृते .जे के. एं एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेट, एफ.आर.एन. 002962सी

6,01,865.48	9. कर्मचारी भविष्य निधि	6,53,479.48	
	10. प्रत्याभूति बन्ध पत्र		
	11. ग्रुप इन्श्योरेश खाता		
40,335.00	12. जीवन बीमा	40,135.00	
-	13. एनआईए–क्रेडिट	-	
	14. सूखाग्रस्त क्षेत्रों को खाद्यान्न वित0अग्रिम		
-	15. डी0डी0 पेयेबुल खाता	-	
	16. आई.सी.डी.पी. छिंदवाड़ा से अनुदान प्राप्त		
	17. लिंक समितियों को शासन से क्षतिपूर्ति सहायता		
5,66,842.48	18. सर्विस टैक्स	(1,226.00)	
32,68,915.44	19. टी.डी.एस.	35,25,331.00	
	20. अंकेक्षण शुल्क देय		
	21. सेल कलेक्शन बीज		
-	22. ओ.डी. नेफ्ट		
	23. म0प्र0 राज्य कृषि विप0 बोर्ड		
	24. पूल फण्ड		
	25. काम के बदले अनाज योजना		
	26. सूखा प्रभावित कृषको को अनुदान		
	27. धान खरीदी सकंलन		
	28. कृषि प्रोत्साहन		
	29. मध्यान्ह भोजन चावल कमीशन		
	30. ऋण माफी/राहत राशि		
	31. कैश क्रेडिट/अल्पावधि क्रेडिट बैलेन्स		
	32. बचत बैंक बीमा गारन्टी योजना		
	33. टी.डी.एस. प्राप्ति योग्य		
-	34. प्रोफेश्नल टैक्स	-	
1,10,376.00	35. परिवार कल्याण कोष	1,00,597.00	
7,16,630.00	36. मार्जिन मनी	7,16,630.00	
12,256.73	37. सी.जी.एस.टी देय (आर.सी.एम)	12,256.73	
-	38. आई.जी.एस.टी. देय		
12,256.73	39. एस.जी.एस.टी देय (आर.सी.एम)	12,256.73	
	40. अतिशेष ब्याज		
	41. ब्याज देय		
2,168.49	42. इफको फर्टिलाईजर	2,168.49	
	43. आई.डी.बी.आई. से उधार ग्रहण		
62,757.45	44. एटीएम पीओएस समाशोधन	24,73,288.53	
1,12,242.00	45. प्रविष्टि होना शेष	9,57,368.00	
53,14,06,367.42	46. अनुप्रयोज्य आस्तियों एवं अन्य अस्तियो के प्रावधान	64,14,10,697.95	
2,14,67,181.00	47. प्रयोज्य आस्तियों हेतु प्रावधान	2,47,79,813.00	
2,65,22,860.90	48. दुर्बल अस्तियो एवं अन्य अस्तियो के प्रावधान	2,65,22,860.90	
45,55,182.00	49. आयकर प्राबधान	-	
-	50. लाभ पार्किंग खाता (पिछला वर्ष)	-	
77,110.22	51. सी.जी.एस.टी देय	2,29,805.21	
77,110.22	52. एस.जी.एस.टी देय	2,29,805.21	
9,47,22,212.88	**11. संचित लाभ खाता**	**9,09,97,703.71**	**9,09,97,703.71**
	8,29,36,573.31		
	80,61,130.40		
11,19,67,58,921.19	योग		11,67,52,03,715.94

हस्ता/–
नीरज जैन
प्रभारी (लेखा कक्ष)

हस्ता/–
(ए.के. जैन)
प्रबंधक लेखा

हस्ता/–
के.के.सोनी
महाप्रबंधक

हस्ता/–
(जी. एस. डहेरिया)
प्रशासक एवं उप पंजीयक
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
मर्यादित, छिन्दवाड़ा

हस्ता/–
(किर्ती कुमार डागा)
पार्टनर
402005

(सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार)
हस्ता/–
कृते .जे के. एं एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेट
एफ.आर.एन. 002962सी

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा (म0प्र0)

दूसरी तालिका बैंकिंग एग्लेशन एक्ट 1949 धारा 29 के अन्तर्गत प्रारूप ''स''

लाभ–हानि पत्रक 2019–2020

31.03.2019 (राशि रू.)	विवरण हानि	राशि रू.	31.03.2020 (राशि रू.)
61,58,31,343.41	**1. ब्याज दिया**		**65,32,85,120.72**
37,18,56,595.77	''अ'' ब्याज दिया अमानतो पर	**40,13,16,321.03**	
23,74,15,423.64	''ब'' ब्याज दिया ऋणो पर	**25,11,25,835.00**	
65,59,324.00	''स'' निधि पर ब्याज	**8,42,964.69**	
9,77,79,065.23	**2. स्थापना व्यय**	**10,72,76,543.81**	**10,72,76,543.81**
6,92,60,813.73	1. वेतन उपवेतन	**7,08,42,654.46**	
	2. भविष्य निधि योगदान	**74,57,854.00**	
5,00,000.00	3. कर्मचारी ग्रेच्युटी प्रीमियम भुगतान	**1,00,000.00**	
1,27,541.00	4. कर्मचारी यात्रा भत्ता	**73,118.00**	
4,34,627.90	5. डाकतार टेलीफोन व्यय	**3,64,597.38**	
18,55,663.95	6. प्रिंटिग एवं स्टेशनरी व्यय	**25,25,599.90**	
1,63,550.00	7. विधि सलाहकार व्यय	**2,15,000.00**	
80,78,730.27	8. किराया कर बीमा प्रकाश व्यय	**98,48,737.60**	
7,55,993.00	9. अंकेक्षण शुल्क	**7,78,799.06**	
	10. अन्य व्यय		
4,84,556.80	''अ'' प्रचार प्रसार एवं विज्ञापन	**4,63,304.80**	
6,20,264.22	''ब'' जीप डीजल मरम्मत व्यय	**5,92,274.14**	
51,06,857.80	''स'' विविध व्यय खाता	**43,08,843.13**	
	''द'' वर्दी व्यय		
5,000.00	''इ'' संघ चन्दा व्यय	-	
-	''फ'' डेड स्टाक मरम्मत	2,07,297.00	
6,14,857.69	''ग'' जीप किराया	**5,15,061.46**	
13,44,572.12	''ह''. भवन मरम्मत व्यय	**11,53,261.48**	
84,26,036.75	''ह''. कोर बैकिंग सॉफटवेयर फीस	**78,30,141.40**	
17,65,872.82	**3. अवक्षयण**	**12,02,564.77**	**12,02,564.77**
-	1. डेड स्टाक पर	-	
1,77,816.30	2. वाहन पर	2,94,083.10	
72,293.00	3. भवन पर	65,063.00	
15,15,763.52	4. फर्निचर पर	8,43,418.67	
-	5. जमीन लीज	-	
-	**4. कैडर फण्ड अंशदान**	**22,64,686.00**	**22,64,686.00**
-	**5. प्रायर पीरियड आयटम व्यय**	-	-
5,50,22,860.90	**6.दुर्बल अस्तियो हेतु प्रावधान**	13,03,88,329.95	13,03,88,329.95
	7. कोर बैकिंग सेवाएँ हेतु प्रावधान		-
	8. वेतन देय हेतु प्रावधान		-
	9. आयकर भुगतान		-
	10. एफ.बी.टी. टैक्स		-
	11. ग्रेच्युटी प्रावधान		-
	12. अन्य आस्तियॉ हेतु प्रावधान		-
70,00,000.00	**13. मानक आस्तियॉ हेतु प्रावधान**	-	-
	14. संदिग्ध डूबन्त हेतु प्रावधान	18,56,142.00	18,56,142.00
	15. अप्राप्त ब्याज हेतु प्रावधान		-
45,55,182.00	**16. आयकर प्राबधान**	-	-
-	**17. अंकेक्षण शुल्क हेतु प्रावधान**	-	-
	18. कषि समामेलप हेतु प्रावधान	17,96,597.00	**17,96,597.00**
	19. सोसायटी फण्ड हेतु प्रावधान	36,08,303.00	**36,08,303.00**
	20. LOSS ON SALE NOF VEHICLE	5,27,297.00	**5,27,297.00**
4,35,72,811.24	**18. लाभ खाता**	**80,61,130.40**	80,61,130.40
82,55,27,135.60	**योग**		**91,02,66,714.65**

हस्ता/–
नीरज जैन
प्रभारी (लेखा कक्ष)

हस्ता/–
(ए.के. जैन)
प्रबंधक लेखा

हस्ता/–
के.के.सोनी
महाप्रबंधक

हस्ता/–
(जी. एस. डहेरिया)
प्रशासक एवं उप पंजीयक
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
मर्यादित, छिन्दवाड़ा

हस्ता/–
(किर्ती कुमार डागा)
पार्टनर
402005

(सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार)
हस्ता/–
कृते .जे के. एं एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेट
एफ.आर.एन. 002962सी

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा (म0प्र0)

दूसरी तालिका बैंकिंग एग्लेशन एक्ट 1949 धारा 29 के अन्तर्गत प्रारूप ''स''

लाभ–हानि पत्रक 2019–2020

31.03.2019 (राशि रू.)	क0 विवरण लाभ	राशि (रू)	31.03.2020 (राशि रू.)
80,91,71,219.01	**1. ब्याज प्राप्त खाता**		**89,75,06,718.98**
64,26,88,164.67	''अ'' ब्याज प्राप्त ऋणों पर	71,29,11,599.57	
16,64,83,054.34	''ब'' ब्याज प्राप्त विनियोगों पर	18,45,95,119.41	
56,05,353.50	**2. लाभांश प्राप्त अंशो पर**	14,25,852.58	**14,25,852.58**
36,32,842.23	**3. कमीशन एवं विनियम दलाली**	17,17,413.50	**17,17,413.50**
-	**4. जीप खाता**	-	-
5,400.00	**5. लाकर्स किराया**	1,600.00	**1,600.00**
17,37,739.00	**6. अन्य आय**	21,09,400.00	**21,09,400.00**
53,74,581.86	**7. प्रवेश, प्रशा., मूल्यां, नेफट, क्लोजर चार्ज**	61,92,696.90	**61,92,696.90**
-	**8. प्रायर पीरियड आयटम**	13,13,032.69	**13,13,032.69**
82,55,27,135.60	**योग**		**91,02,66,714.65**

हस्ता/–
नीरज जैन
प्रभारी (लेखा कक्ष)

हस्ता/–
(ए.के. जैन)
प्रबंधक लेखा

हस्ता/–
के.के.सोनी
महाप्रबंधक

हस्ता/–
(जी. एस. डहेरिया)
प्रशासक एवं उप पंजीयक
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
मर्यादित, छिन्दवाड़ा

हस्ता/–
(किर्ती कुमार डागा)
पार्टनर
402005

(सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार)
हस्ता/–
कृते .जे के. एं एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेट
एफ.आर.एन. 002962सी

J K A & Co.
Chartered Accountants
No. 79, Malviya Nagar, Bhopal (MP) - 462001
E-mail – dagakirti@yahoo.co.in
☎ - 0755 2531374, 9826830665
Branch – Main Road, Hinganghat, Distt. Wardha (MH) - 442301
Branch - Ist Floor, 4, Zone - I, M. P. Nagar, Bhopal (MP) - 462 011
Branch - L-53, Srila Park Pride, Hydernagar, Hyderabad (AP) - 500 049

अंकेक्षण प्रमाण पत्र

अंकेक्षण वर्गीकरण पैमाना संलग्नक के आधार पर प्राप्त अंको के अनुसार यह प्रमाणित किया जाता हैं की जिला सहकारी बैंक मर्यादित, छिन्दवाडा को वर्ष **2019-2020** के लिए **"बी"**श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता हैं।

उपरोक्त वर्गीकरण हमें प्रदत्त सूचनाये एवं स्पष्टीकरण एवं सम्बंधित संलग्नक /परिशिष्ट के आधार पर जारी किया गया हैं जो हमारे अंकेक्षण टिप्पणियाँ एवं आक्षेप जिसका उल्लेख स्वंतंत्र लेखा परीक्षा ,लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एल. एफ. ऐ .आर), संपरीक्षा प्रतिवेदन एवं अंकेषित वित्तीय विवरणों में किया गया हैं।

For J K A & Co.
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 002962C

(Kirti Kumar Daga)
Partner
Membership No. 402005

Place: Bhopal
Date: 12.08.2020

UDIN: 20402005AAAABA8255

J K A & Co.
Chartered Accountants
No. 79, Malviya Nagar, Bhopal (MP) - 462001
E-mail – dagakirti@yahoo.co.in
☎ - 0755 2531374, 9826830665
Branch – Main Road, Hinganghat, Distt. Wardha (MH) - 442301
Branch - Ist Floor, 4, Zone - I, M. P. Nagar, Bhopal (MP) - 462 011
Branch - L-53, Srila Park Pride, Hydernagar, Hyderabad (AP) - 500 049

आई आर ए सी अनुपालन -अंकेक्षण प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता हैं की जिला सहकारी बैंक मर्यादित, छिन्द्वारा ने वर्ष **2019-20** में आर बी आई /नाबार्ड द्वारा लागू आई आर ए सी नियमो का अनुपालन किया हैं।

उपरोक्त वर्गीकरण हमें प्रदत्त सूचनाये एवं स्पष्टीकरण एवं सम्बंधित संलग्नक /परिशिष्ट के आधार पर जारी किया गया हैं जो हमारे अंकेक्षण टिप्पणियाँ एवं आक्षेप जिसका उल्लेख स्वंतंत्र लेखा परीक्षा, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एल. एफ. ऐ .आर), संपरीक्षा प्रतिवेदन एवं अंकेषित वित्तीय विवरणों में किया गया हैं।

For J K A & Co.
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 002962C

(Kirti Kumar Daga)
Partner
Membership No. 402005

Place: Bhopal
Date: 12.08.2020

UDIN: 20402005AAAABA8255

सहकारिता आंदोलन किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध व सशक्त बनाने का माध्यम : सहकारिता मंत्री

अपेक्स बैंक का 56वाँ वार्षिक साधारण सम्मिलन सम्पन्न

भोपाल। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा है कि सहकारिता आंदोलन किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध व सशक्त बनाने का माध्यम बने। सहकारी कर्मी प्रदेश के किसानों की सेवा समर्पित भाव से करें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि प्रदेश के सभी किसानों का दुर्घटना बीमा हो जिससे संकट की घड़ी में उनके परिजनों को सहारा मिल सके। अपेक्स बैंक इसके लिए एक समिति गठित कर बेहतर प्लानिंग करे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतें प्राथमिकता से निराकृत की जाएं, इन मामलों के निराकरण में कोई लापरवाही नहीं हो। सहकारिता मंत्री डॉ भदौरिया अपेक्स बैंक के समन्वय भवन में 56वें वार्षिक साधारण सम्मिलन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक 25 सितंबर, 2020 को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत–आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' अंतर्गत समितियां अच्छे प्रोजेक्ट हाथ में लें ताकि वे वायबल हो। मध्यप्रदेश में सहकारी समितियों की कार्य–प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिये समितियों का कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। इसके लिए देश में तेलंगाना मॉडल को अपनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 सितंबर 2020 की स्थिति में पिछले वर्ष 7534 करोड़ रुपए का ऋण किसानों को वितरित किया गया था जबकि चालू वर्ष में इसी अवधि में लगभग 9200 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 22 प्रतिशत अधिक है।

बैठक में जिला सहकारी बैंकों में एनपीए की तुलनात्मक स्थिति की समीक्षा की गई तथा निर्देश दिए गए कि सहकारी बैंकों में ऋण माफी के पहले व ऋण माफी के बाद की एनपीए संबंधी तुलनात्मक जानकारी तैयार की जाये। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा में बताया गया कि खरीफ 2019 में 74 हजार 860 कृषकों को 54 हजार 865 लाख रुपए की दावा राशि स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया है। रबी 2019 – 20 में 12 लाख 83 हजार 551 कृषकों का बीमा किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ 2020 में पोर्टल पर प्रविष्टि की भी समीक्षा की गई।

बैठक में अपेक्स बैंक द्वारा पिछले 5 वर्षों में किये गए विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई। इस दौरान ग्राहकों के खातों से अन्य बैंकों में 2 लाख से अधिक की राशि अंतरण हेतु आरटीजीएस सेवाएं लागू की गई। केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों के खातों में सीधे सब्सिडी के अंतरण हेतु डीपीटी सुविधा लागू की गई। जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों से संबंधित प्राथमिक सहकारी समितियों के 22 लाख कृषक सदस्यों को अल्पकालीन कृषि ऋण दिए जाने के लिए सहकारी बैंक में 'डिजिटल मेंबर रजिस्टर' प्रणाली लागू की गई। कृषकों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। इसके अलावा 36 सहकारी बैंकों में अमानतदारों को एटीएम/ई–कॉमर्स की सुविधा प्रदान की। अपेक्स बैंक द्वारा मोबाइल ऐप आधारित 24x7 बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई गई। इंदौर में मोबाइल बैंकिंग सेवा संचालित की गई। शीर्ष बैंक व अन्य सहकारी बैंक द्वारा एटीएम की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

अपेक्स बैंक के साधारण वार्षिक सम्मिलन में वर्ष 2018– 19 एवं वर्ष 2019– 20 के अंकेक्षण की तुलनात्मक वित्तीय स्थिति, वर्ष 2020–21 हेतु किए गए बैंक के वित्तीय आंकलन का पुनरीक्षण, वर्ष 2021–22 हेतु कार्य व्यवसाय के वित्तीय अनुमानों के प्रतिवेदन का अनुमोदन, वर्ष 2019–20 के वास्तविक अंकेक्षित आय–व्यय का अनुमोदन, वर्ष 2020–21 के आय व्यय (बजट) का पुनरीक्षण एवं वर्ष 2021–22 के अनुमानित आय व्यय की स्वीकृति, बैंक के अंकेक्षित वित्तीय वर्ष 2019– 20 का अवलोकन किये जाने के साथ ही बैंक के वर्ष 2019–20 के अंकेक्षित शुद्ध लाभ के विनियोजन/वितरण की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा वर्ष 2020–21 के लेखाओं के संपरीक्षण हेतु सनदी लेखाकार/संपरीक्षक की नियुक्ति तथा बैंक की लेखा पुस्तकों में दर्शित अपलेखन योग्य आस्तियों/हानियों के अपलेखन की स्वीकृति भी प्रदान की गई। बैठक में एपेक्स बैंक के 124 करोड़ के लाभार्जन पर प्रसन्नता व्यक्त की।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने सीएम हेल्पलाइन व जनसुनवाई में लंबित शिकायतों को गंभीरता से लेकर निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने ने इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित सीएम हेल्पलाइन में किसान क्रेडिट कार्ड व फसल बीमा से संबंधित 108 शिकायतें लंबित होने पर नाराजगी जताई और कहा कि इन मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इंदौर प्रीमियर को–ऑपरेटिव बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए।

बैठक के अंत में मंत्री डॉ. भदौरिया ने गेहूं के रिकॉर्ड उपार्जन तथा देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उल्लेखनीय कार्य के लिए अपेक्स बैंक के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री प्रदीप जोशी व सहायक लेखा अधिकारी श्री विजय अग्रवाल को सम्मानित भी किया। बैठक में आयुक्त एवं पंजीयक सहकारिता तथा अपेक्स बैंक के प्रशासक डॉ. एम.के. अग्रवाल, प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री पी. नरहरि, नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री डी.एस. चौहान, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री प्रदीप नीखरा विशेष रूप से उपस्थित थे।

किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा प्रमाणित बीज : मंत्री डॉ. भदौरिया

20 जिलों में गोदाम सह ग्रेडिंग प्लांट का निर्माण

भोपाल। किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने में बीज संघ प्रभावी भूमिका निभाए। बीज उत्पादक समितियों द्वारा उत्पादित प्रमाणित बीज को शासन की विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर लिया जाकर किसानों को उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश में नकली बीज के विक्रय को सख्ती से रोका जाए। प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समितियों को बीज संघ की सदस्यता प्रदान की जाए। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में मंत्रालय में 15 सितंबर, 2020 को आयोजित हुई मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित के संचालक मंडल की बैठक में उक्त निर्णय लिए गए। बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि बीज संघ के माध्यम से 20 जिलों में गोदाम सह ग्रेडिंग प्लांट निर्मित किये जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति में 14 जिलों विदिशा, सीहोर, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, उज्जैन, देवास, मंदसौर, सागर, टीकमगढ़, बालाघाट, मंडला तथा सतना में गोदाम सह ग्रेडिंग प्लांट निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है शेष जिलों में निर्माण कार्य प्रगतिरत है। प्रत्येक गोदाम की भण्डारण क्षमता एक हजार मीट्रिक–टन होगी। इन ग्रेडिंग प्लांट की बीज प्रसंस्करण क्षमता 40 टन प्रति घंटा है।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में शासकीय संस्थाओं द्वारा उत्पादित कुल प्रमाणित बीज का लगभग 80 प्रतिशत योगदान बीज संघ का रहता है। प्रदेश में बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि के लिये बीज संघ के योगदान की सराहना की गई। बीज संघ को स्ववित्त पोषित करने के लिये प्रस्तुत की गई कार्य–योजना का अनुमोदन भी किया गया। बीज संघ की आमसभा 29 सितंबर 2020 को आयोजित करने का अनुमोदन किया गया। संचालक मंडल ने वर्ष 2021–22 के लिये बीज संघ के बजट का अनुमोदन भी किया। बीज संघ के प्रबंध संचालक ने बीज संघ की गतिविधियों व योजनाओं से भी अवगत कराया। पूर्व बैठक में लिये गये निर्णयों के पालन–प्रतिवेदन तथा आगामी कार्य–योजना पर भी चर्चा की गई और आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री अजीत केसरी, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री उमाकांत उमराव, प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री पी. नरहरि, आयुक्त सहकारिता संचालक उद्यानिकी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।